दैनिक नवप्रदेश

प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, शुक्रवार 5 जून 2020, ज्येष्ठ पूर्णिमा, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-115 पृष्ठ-12 मूल्य-3 रुपए | छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

जिस देश के लोग खतरों के खिलाड़ी हो, कोरोना से भी न डरते हो और रोज कुछ तूफानी करते हो उनका चक्रवाती तूफान क्या बिगाड़ पाएगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ होर्डिंग्स और पेड़ ही उखाड़ पाएगा। निसर्ग तूफान को लेकर भारी तबाही की आशंका थी जो निर्मूल सिद्ध हुई। समय रहते तूफान के कहर से बचने की तैयारी कर ली गई और एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। नतीजतन कोई बड़ी जनहानि नहीं हो पाई। ऐसे तूफान आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। सरकार को चाहिए कि वह बेहतर आपदा प्रबंधन नीति बनाएं ताकि कुदरत के कहर से लोग बच पाएं।

जिन्हें चाचा ने बहरूपिया कह छोड़ा, वही गेंदलाल पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर

पर्यावरण दिवस विशेष -दुर्ग के गेंदलाल देशमुख अब तक लगा चुके लाखों पेड़, पंचायत उन्हें दे चुकी पांच एकड़ जमीन

चंद्रशेखर धोटे

दुर्ग/नवप्रदेश। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले कई लोगों के संघर्ष की प्रेरक कहानियों को तो हम और आप पढ़ ही चुके होंगे। इस फेहरिस्त में एक नाम प्रदेश के दुर्ग जिले से भी है, वो है गेंदलाल देशमुख। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर नवप्रदेश आपको रूबरू करा रहा है इन्हीं गेंदलाल देशमुख की कहानी से। पर्यावरण प्रेम के प्रति उनका संघर्ष भी अपने आप में एक मिसाल है। पर्यावरण प्रेम व वृक्षारोपण के प्रति उनकी ललक को देखते हुए कभी उनके चाचा ने उन्हें बहरूपिया कहकर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी ललक नहीं छोड़ी। उम्र के 90 साल पूरे कर चुके गेंदलाल देशमुख जड़ी बूटी से लोगों का इलाज तो करते ही हैं साथ में इन जड़ी बूटियों की व्यवस्था व पर्यावरण संरक्षण के लिए वे अब तक लाखों पेड़ भी लगा चुके हैं अब उन्हें पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। ■ शेष पृष्ठ 8 पर

रामायण की चौपाई से मिली प्रेरणा

नवप्रदेश से बातचीत में गेंदलाल ने पर्यावरण के प्रति अपने इस समर्पण भाव को लेकर बताया कि उन्हें इसकी प्रेरणा रामायण से मिली। गेंदलाल बताते हैं- गांव में उनके बाबाजी रामायण सुनते थे। उनके चाचा उन्हें रामायण सुनाते थे। रामायण की चौपाई- 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।।' ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि वे जनहित के काम जुट गए और इसके लिए उन्होंने वृक्षारोपण को ही इसका विकल्प बना लिया। गेंदलाल कहते हैं, 'मेरे पिता की करीब 140 एकड़ जमीन थी। मालगुजार का बेटा हूं। लेकिन रामायण की चौपाई ने मुझे जीवन का सार समझा दिया और मैं जनहित के काम में लगा हूं।

...तो जमीन वापसी की मिली धमकी

गेंदलाल बताते हैं कि पंच रहते जिस शख्स ने उन्हें पांच एकड़ जमीन दिलाने के लिए जद्दोजहद की थी, सरपंच बनने के बाद वह शख्स उनके कामों में खामियां गिनाने लगा। जमीन वापसी की बात कहने लगा। बकौल गेंदलाल सरपंच उनसे नियम विरुद्ध काम कराना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। लेकिन बाद में कलेक्टर के हस्तक्षेप पर जमीन गेंदलाल के ही कब्जे में रही। और आज इस भूमि पर अनगिनत पेड़ हैं। इस जमीन पर गेंदलाल ने खमेर, पीपल, बरगद, जाम, हर्रा, बेहड़ा, आंवला समेत करीब 50-55 प्रजाति के पड़ लगा चुके हैं। गेंदलाल बताते हैं कि बोरसी ■ शेष पृष्ठ 8 पर

प्लेन में बैठकर बेंगलुरु से अपने प्रदेश पहुंचे 11 जिलों के 180 मजदूर

- ■ आज दूसरी श्रमिक स्पेशल फ्लाइट पहुंचेगी रायपुर
- ■ 5 जून को 174 मजदूरों को लेकर पहुंचेगा प्लेन
- ■ सभी मजदूर अपने जिलों में रखे जाएंगे क्वारंटाइन

इन जिलों के हैं सभी मजदूर

जिन मजदूरों को हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट में लाया गया है. उनमें बलौदाबाजार के 17, बलरामपुर 19, बिलासपुर 9, जशपुर 1, जांजगीर-चापा 95, कोरिया 2, कोरबा 8, महासमुंद 13, नारायणपुर 7, पेंड्रा-गौरेला 7, सरगुजा 2 समेत 180 मजदूर शामिल हैं।

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन में दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बेंगलुरु में फंसे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के 180 गरीब मजदूर विशेष विमान के जरिए रायपुर पहुंचे है. रायपुर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों को बसों से उनके गृह जिलों ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें क्वारंटाइन सेन्टरों में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक विशेष विमान क्रमांक 9405 बेंगलुरु से सुबह 8 बजे रवाना होकर सुबह 9.50 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में फ्लाइट लैंड की। इसी तरह 5 जून को 174 श्रमिक भी हवाई जहाज से कल दोपहर 12 बजे तक आएंगे। इन श्रमिकों के चिकित्सा जांच के बाद भोजन उपलब्ध कराके संबंधित जिलों में भेजा जाएगा। ये दोनों फ्लाइट विशेष श्रमिक फ्लाइट है, जिन्हें श्रमिकों को लाने के लिए बुक किया गया है।

इन्होंने उठाया फ्लाइट का खर्च

प्रदेश के इन मजदूरों को नालसार हैदराबाद, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ की समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट और वी द पीपल संस्था की पहल पर रायपुर लाया जा रहा है। जिसके बाद क्वारेंनटाइन करने के बाद सभी को घर भेजा जाएगा। मददगार संस्थानों ने छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बिलकुल मुफ्त में ही उनके घरों तक पहुंचाने का बीड़ा ■ शेष पृष्ठ 8 पर

मुख्यमंत्री प्रतिदिन कर रहे क्वारंटाइन सेंटरों की मॉनिटरिंग

कोरोना से बचाव के लिए बरतें विशेष सतर्कता : सीएम बघेल

■ मुख्य सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों की व्यवस्थाओं की प्रतिदिन सतत् रूप से मानिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में राज्य एक संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से छत्तीसगढ़ वापस आये श्रमिकों एवं अन्य लोगों को क्वारंटाइन शिविरों में रखा गया है, ताकि जनसमुदाय में कोरोना संक्रमण नहीं फैले। इसके लिए क्वारेंटीन सेंटरों में अत्यंत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

ये निर्देश भी दिए गए कलेक्टरों को

- ■ *कलेक्टरों से कहा गया है कि सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाए।*
- ■ *सभी क्वारंटाइन सेंटरों पर आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाए।*
- ■ *क्वारंटाइन सेंटरों में कोरोना टेस्ट के लिए सैम्पल निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार तत्काल आगामी तीन दिवस में लेने की कार्यवाई की जाए।*
- ■ *सभी जिलों में 10 जून तक कोविड अस्पताल पूर्ण कर लिए जाए।*
- ■ *क्वारंटाइन सेंटरों पर सुरक्षात्मक उपाए सुनिश्चित किए जाए, ताकि वहां पर किसी प्रकार की हानि न हो और लोगों में असुरक्षा की भावना निर्मित न हो।*

अफसरों की कार्यकुशलता का आंकलन कोरोना नियंत्रण के कार्यों से होगा : क्वारंटाइन सेंटरों में प्रभारी अधिकारी रोटेशन से बनाए जाए, ताकि केवल कुछ व्यक्तियों की ■ शेष पृष्ठ 8 पर

नए रूप में नजर आएगा छग पुलिस का संकेत-प्रतीक

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस का नया संकेत प्रतीक अब जल्द ही नजर आएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गठन संकेत-प्रतीक के प्रस्ताव को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है। यह सहमति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अनुसंशा पर दी गई है। इस आशय का आदेश गृह (सामान्य) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिया गया है।

नाले में बाढ़ कुंडेरादादर में 50 बोरा तेंदूपत्ता बहा

रायपुर। भारी बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम कुंडेरादादर के नजदीक एक बरसाती नाले में बाढ़ आ गई। इससे वहां के तेंदूपत्ता संग्रहण केन्द्र में रखे गए 50 मानक बोरा तेंदूपत्ता बह जाने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि अरब सागर में कल आए भीषण चक्रवाती तूफान निसर्ग से महाराष्ट्र के मुंबई सहित कुछ तटवर्ती जिलों में भारी बारिश हुई जिसका आंशिक असर छत्तीसगढ़ के मौसम ■ शेष पृष्ठ 8 पर

'निसर्ग' के असर से राज्य में आज फिर बारिश के आसार

■ तेज हवा व गरज-चमक के साथ पड़ सकते हैं छींटे

रायपुर/नवप्रदेश। बुधवार को महाराष्ट्र के तट से टकरा चुके चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। चक्रवाती तूफान के असर से गुरुवार को मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश व तेज हवाओं का दौर देखने को मिला। निसर्ग का असर मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिला। लेकिन इसके असर राज्य के बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरिया, जशपुर, गरियाबंद आदि जिलों में अच्छी बारिश हुई। रायपुर मौसम के केंद्र के वैज्ञानिक श्री बैस के मुताबिक, शुक्रवार को निसर्ग के असर से राज्य के एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा चलने के भी आसार हैं। गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर या अधिक गति से तेज हवाएं चलने तथा मध्यम ■ शेष पृष्ठ 8 पर

छग: 36 घंटे में मिले कोरोना के 130 पॉजिटिव

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कोविड 19 के 44 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें बिलासपुर से 17, महासमुंद से 17, बलोदाबाजार व गरियाबंद से 3-3, सरगुजा से 2 तथा रायगढ़ व जांजगीर चांचा से 1-1 पॉजिटिव मरीज मिला है। मेडिकल कॉलेज रायपुर के माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. नेरल ने यह जानकारी दी है। वहीं बुधवार से गुरुवार रात 8 बजे तक के 36 घंटों पर नजर डालें तो राज्य में कोविड 19 के 130 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं।

36 घंटे में 130 का गणित

बता दें कि इससे पहले बुधवार को कोविड 19 के 34 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद गुरुवार को सुबह जारी मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि बुधवार की देर रात 55 और नए पॉजिटिव मरीज सामने ■ शेष पृष्ठ 8 पर

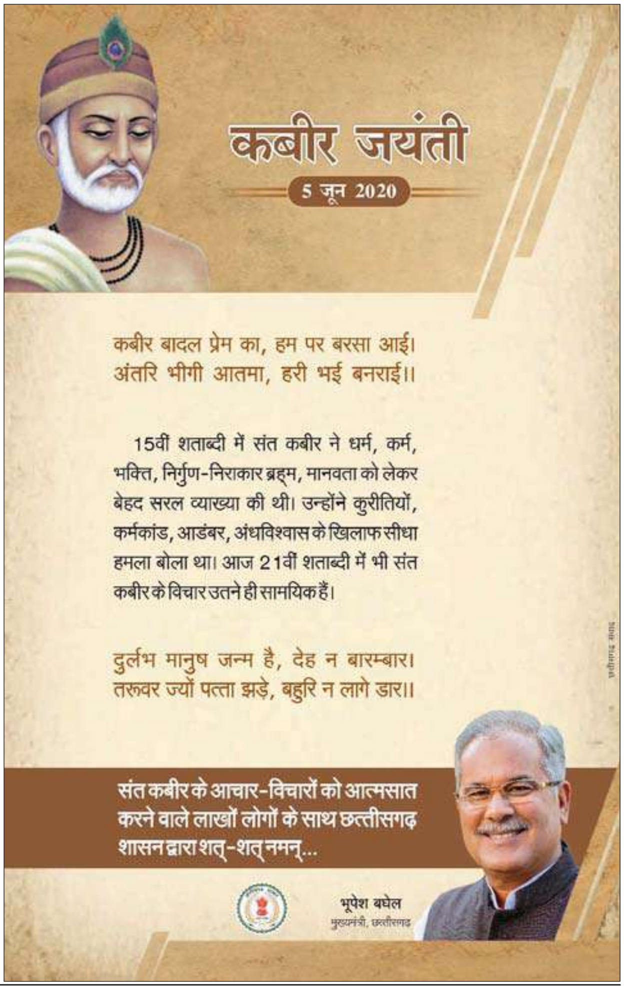

दुष्कर्म के आरोपी पूर्व कलेक्टर पाठक सस्पेंड, उच्चस्तरीय जांच के आदेश

■ पीड़िता आरक्षित वर्ग की, गंदी बात, संदेश का रिकार्ड भी दिया

■ आरोप कलेक्टरी के दौरान चैंबर में ही 15 मई को किया था रेप

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। जांजगीर में अपनी कलेक्टरी के दौरान महिला से दुष्कर्म करने वाले आईएएस अधिकारी जनक पाठक को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव आरपी मंडल को घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिये हैं। इधर कलेक्टर रहते हुए आरोपी व्दारा पीड़िता से की गई गंदी बातों, भेजे गए संदेशों को बतौर दस्तावेज पेश कर दिया है। बता दें कि कल बुधवार को ही महिला ने यह गंभीर आरोप लगाया था और तत्काल पुलिस ने सीनियर आईएएस जनक पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया था। आज इस घटनाक्रम के चंद घंटों बाद ही शासन ने उनके निलंबन और लगे सभी आरोपों की उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी सुना दिया। महिला का आरोप था कि कलेक्टर ने 15 मई को उसके साथ चैबर में ही रेप किया था। इस मामले में महिला ने ये आरोप भी लगाया था कि जब वो कलेक्टर से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके शिक्षाकर्मी पति को बर्खास्त करने की धमकी दी गयी। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनकराम पाठक पर एनजीओ संचालिका ने अपने चेम्बर में रेप करने का आरोप लगाया है। आरोपी पूर्व कलेक्टर को हफ्ते भर पहिले 27 मई को सरकार ने कलेक्टर से हटा कर राजधानी बुला लिया था। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर द्वारा रेप की दूसरी घटना, पाठक से पहले एमआर सारथी को रेप केस में हुई थी जेल की सजाज्जेल में ही मौत हो गई

दो नौकरशाह, दो पुलिस अफसर पर लगा है दाग

देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अपनी नौकरशाही के बल पर दैहिक शोषण का दाग दो आईएएस अफसर तो 1 आईपीएस और 1 एएसपी पर लग चुका है। वैसे सबसे पहला मामला तात्कालीन मध्य प्रदेश के वक्त बिलासपुर में वर्ष 1998 में बिलासपुर के अपर कलेक्टर विनोद कटेला पर उनकी नौकरानी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। नौकरानी ने पुलिस में शिकायत की थी आईएएस ने शादी का झांसा देकर डेढ़ साल में अनेक बार दैहिक शोषण किया। इस दागदार आरोप के बाद उनका जबलपुर ट्रांसफर हो गया था। राज्य निर्माण से अब तक सबसे पहला आरोप छत्तीसगढ़ के कलेक्टर जशपुर एमआर सारथी पर 2002 में वहां की आदिवासी हॉस्टल की अधीक्षिका ने रेप का आरोप लगाई थी। तब छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की सरकार थी। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए उस समय के डीआईजी एमडब्लू अंसारी को जशपुर भेजा था। अंसारी ने एक हफ्ते कैंप कर जांच की और अपनी रिपोर्ट में रेप की घटना को सही ठहराते हुए सारथी को दोषी ठहराया था।

सारथी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला। जशपुर की निचली अदालत ने सारथी को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई। सारथी ने इसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन, दोनों अदालतों ने निचली अदालत की सजा बरकरार रखी। आखिकार, सारथी को रायपुर जेल जाना पड़ा। जेल के दौरान ही बीमारी से उनकी मौत हो गई। इसी तरह सीनियर आईपीएस पवन देव पर बिलासपुर रेंज की कमान थी तब एक महिला आरक्षक ने गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद एएसपी संजय शर्मा पर महिला उपनिरीक्षक ने लिफ्ट में अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। इसके बाद एएसपी को निलंबित भी कर दिया गया था।

कबीरदास जी के विचार आज भी प्रासंगिक

कबीर जयंती के अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष का बधाई संदेश

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश वासियों को संत कबीर दास जयंती के अवसर पर अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अपने संदेश में विधान सभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सतगुरू कबीरदास जी की गणना विश्व के महान संतों में होती है। भारतीय संस्कृति के गहनतम ज्ञान को सरलतम शब्दों में कबीरदास के साखी और दोहे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं।

कबीरदास जी की रचनाएं मानव मन को सीधे प्रभावित करती है। इन रचनाओं में व्यक्त होने वाली शुद्ध-ह्दयता, सामाजिक निर्भरता, सामाजिक समरसता तथा सबसे बढ़कर सात्विक जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा उन्हें आदर्श मानव जीवन के सफल निर्माता के रूप में स्थापित करती है। विधान सभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने यह भी कहा कि-कबीरदास जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके द्वारा स्थापित सामाजिक मूल्यों को मन, वचन और कर्म से आत्मसात् कर जन-कल्याण को ही जग-कल्याण समझें।

पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पण भाव से एकजुट होकर प्रयास करें : सुश्री उइके

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागरिकों से आह्वान किया है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पण भाव से एकजुट होकर प्रयास करें। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि पर्यावरण सृष्टि का अमूल्य उपहार है और इसे हमें सहेज कर रखना होगा। प्राचीनकाल में हम पर्यावरण के महत्व को समझते थे और प्रकृति के साथ एक संतुलन की स्थिति थी, किन्तु आज आधुनिक विकास की दौड़ में मानव और प्रकृति के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे कारण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समय आ गया है कि हम सजग रहकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अपने आसपास के स्थान में स्वच्छता बनाएं रखें, नदी, तालाब, पोखर को दूषित न करें।

राज्यपाल ने कबीर जयंती के अवसर पर दी शुभकामनाएं

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भक्तिकाल के महान कवि के साथ-साथ संत कबीर दास समाज सुधारक भी थे। उन्होंने तत्कालीन समाज को नई दिशा प्रदान की थी और समाज में फैली हुई कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से आम जनता में भाई-चारा, प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया है। उनके दोहे मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने का कार्य करते हैं। उनके संदेश वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है।

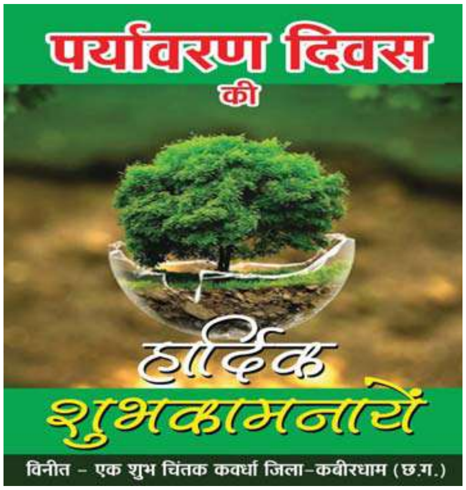

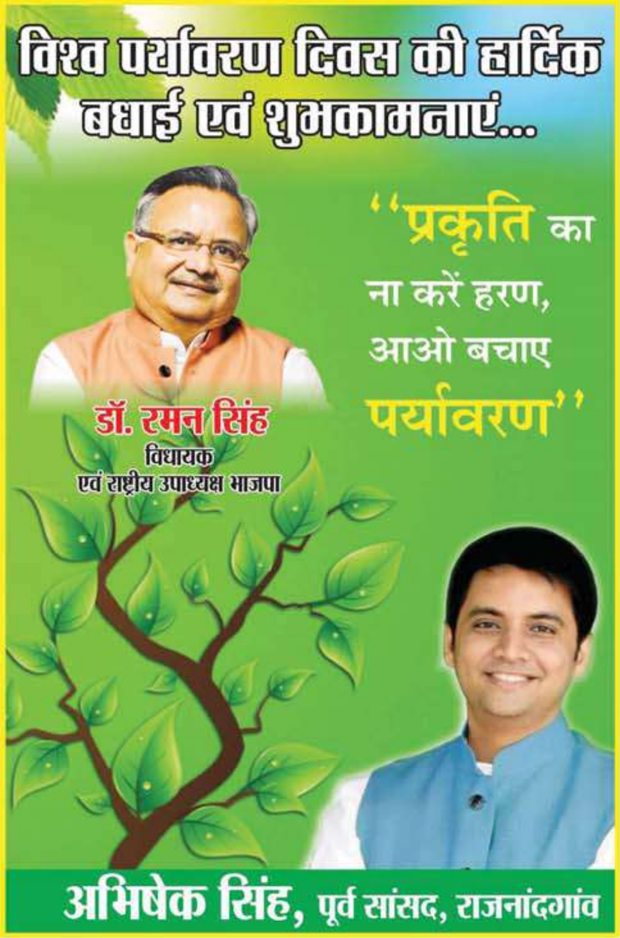
विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं...
''प्रकृति का
ना करें हरण,
आओ बचाए
पर्यावरण''
डॉ. रमन सिंह
विधायक
एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा
अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद, राजनांदगांव

विश्व पर्यावरण दिवस
की हार्दिक बधाई
एवं शुभकामनाएं....
पर्यावरण बचाएँ धरती
को एक हरा भरा इलाका बनाएँ।
जहां हर प्राणी चैन से रह पाए,
कोई भी इंसान भूखा न जाए..।
परवेज अहमद (पप्पू)
प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा
अल्पसंख्यक मोर्चा राजनांदगांव

विश्व पर्यावरण दिवस
की हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएं....
चारो तरफ हो
हरियाली,पर्यावरण
सुरक्षा से खुशियाली
रोशनी सिन्हा
शहर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, राजनांदगांव

विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं..
पेड़ लगाओ देश बचाओं,
पेड़ लगाओ जीवन बचाओ,
जीवन खुश हाल बनाओ।
कुलबीर छाबड़ा
शहर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी
राजनांदगांव

संपादकीय

ऐसे में कैसे बचेंगे कोरोना से

भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख से ज्यादा हो चुकी है अब प्रतिदिन 8 से 10 हजार लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे है। कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या चिंता की विषय बन गई है। अब इस मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। लॉकडाउन के बाद देश के एक बड़े हिस्से को अनलॉक करने के बाद से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है और उसी अनुपात में मृतकों की संख्या में भी बढ़ौतरी हो रही है। देश की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे है। देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे-धीरे पांव पसारता जा रहा है। इसके बावजूद लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोग मास्क पहनने से भी परहेज कर रहे है। शहर हो या गांव कस्बा जगह के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सड़कों पर भी अनावश्यक भीड़ देखी जा रही है, यह स्थिति बेहद खतरनाक है। अब सरकार भी ऐसे जाहिलों को समझाकर थक चुकी है और पुलिस वालों ने भी सख्ती करना बंद कर दिया है। ऐसे में भला कैसे कोरोना के कहर से लोग बच पाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी अब लगभग खत्म हो चुकी है अब नागरिकों को खुद ही सावधानी बरत कर कोरोना वायरस से बचना होगा। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और सरकार के दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें अन्यथा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना नामुमकिन हो जाएगा। अनलॉक होने का यह मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस से जंग जीत ली गई है। अभी यह लड़ाई लंबी चलनी है और बरसात के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी अन्यथा कोरोना वायरस के कहर से बच पाना असंभव की हद तक कठिन हो जाएगा।

विचार -

इस बार मनेगा सही मायने में पर्यावरण दिवस

रमेश सर्राफ

देश की जनता को तालाबंदी (लॉकडाउन) के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं तालाबंदी का समय पर्यावरण की दृष्टि से अब तक का सबसे उत्तम समय रहा है। इस दौरान शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी वायु प्रदूषण का स्तर स्वयमेव घटकर न्यूनतम स्तर पर आ गया है। देश की सभी नदियों का जल अपने आप ही आचमन योग्य हो गया। जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरी दुनिया में इस बार सही मायने में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है।

सरकार हर वर्ष नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती आ रही है। उसके उपरांत भी नदियों का पानी शुद्ध नहीं हो पाया था। मगर देश में चली लंबे समय की तालाबंदी के चलते बिना कुछ खर्च किए ही नदियों का पानी अपने आप शुद्ध हो गया। कोलकाता के बाबू घाट में तो इस दौरान लोगों ने 30 वर्ष बाद डॉल्फिन मछलियों को उछलते हुए देखा है। यह कोलकाता वासियों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पर्यावरणविदों के मुताबिक जिन नदियों के पानी से स्नान करने पर चर्म रोग होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती थी। उन नदियों का पानी शुद्ध हो जाना बहुत बड़ी बात है। देश की सबसे बड़ी गंगा नदी का पानी सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता था। गंगा आज सबसे शुद्ध जल वाली नदी बन चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा का पानी साफहोने की वजह पानी में घुले डिसाल्वड की मात्रा में आई 500 प्रतिशत की कमी है। गंगा में गिरने वाले सीवर और अन्य प्रदूषक में कमी की वजह से पानी साफहुआ है। इन दिनो गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया असर साफ दिखाई दे रहा है। गंगा के पानी में ऑक्सीजन बढ़ा हैं।

कोरोना संकट को लेकर दुनिया के अधिकांश देशों में लंबे समय तक चली तालाबंदी के कारण सब कुछ बंद रखना पड़ा था। दुनिया भर में लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। भारत में भी लंबे समय तक तालाबंदी लागू की गई। देश में अभी भी तालाबंदी पूर्णतया नहीं हटाई गई है। लंबे समय की तालाबंदी के कारण पूरा देश ठहर सा गया है। जो जहां था वहीं रुक गया। तालाबंदी के कारण देश के सभी कल कारखाने, औद्योगिक संस्थान, व्यवसायिक गतिविधियां बंद हो गई। इसके साथ ही देश में घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं, समस्त यात्री रेलगाड़ियां, छोटे-बड़े सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर सरकार द्वारा रोक लगा देने के कारण आवागमन के सभी साधन पूर्णतया बंद हो गए। जिस कारण लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पूर्णतया रुक गया। वैसे भी तालाबंदी के दौरान सरकार ने लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी थी। इस कारण सभी तरह की गतिविधियां बंद हो गई। तालाबंदी के कारण सभी तरह की गतिविधियां बंद होने से लोगों ने बरसों बाद देश के बड़े शहरों में उन्मुक्त भाव से पशु पक्षियों को विचरण करते देखा है। चारों तरफप्रकृति खुशी से विभोर होकर नाचते नजर आ रही है। लोगों ने षहरों की मुख्य सड़कों पर बड़ी तादाद में पशु पक्षियों को खेलते, उड़ते, गाते देखा है। गांव में विलुप्त होती कई तरह की चिड़िया व अन्य पक्षी भी साफहुए वातावरण के कारण अब दिखाई देने लगे हैं। देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि आबादी की भेंट चढ़ती गई। जिस कारण वहां के पेड़ पौधे काट दिये गये व नदी नालों को बंद कर बड़े-बड़े भवन बना दिए गए। जिससे वहां रहने वाले पशु, पक्षी अन्यत्र चले गए। लेकिन तालाबंदी ने लोगों को उनके पुराने दिनों की याद दिला दी है। पर्यावरण शुद्ध होने के कारण पंजाब के जालंधर शहर से हिमालय की बर्फसे ढकी धौलाधार पर्वत श्रंखला की चोटियां वर्षों बाद फिर से दिखाई देने लगी है।

पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे

डॉ. श्रीनाथ सहाय

> आज आवश्यकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें मुख्यतः धूप, खनिज, वनस्पति, हवा, पानी, वातावरण, भूमि तथा जानवर आदि शामिल हैं। इन संसाधनों का अंधाधुंध दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण ये संसाधन धीरे-धीरे समाप्त होने की कगार पर हैं। इस जटिल होती समस्या की ओर चिन्तित होना एवं कुछ सार्थक कदम उठाने के लिये पहल करना जीवन की नयी संभावनाओं को उजागर करता है। मानवजाति आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती भविष्य में भी सुरक्षित बनी रहे इसके लिये भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है। क्योंकि भारत के पास समृद्ध विरासत एवं आध्यात्मिक ग्रंथ ऋग्वेद आदि है जो पर्यावरण का आधार रहे हैं।

आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल आज का दिन हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण को बचाना है। उसे साफ सुथरा रखना है। असल में पूरी मानव जाति का अस्तित्व पर्यावरण से गहराई तक जुड़ा हुआ है। ऐसे में पर्यावरण को बचाकर हम स्वयं को ही सुरिक्षत करते हैं। पूरी दुनिया में विकास का जो खाका खींचा गया, उसका सीधा नुकसान पर्यावरण को उठाना पड़ा। वायुमंडल में जहरीली गैसों का कहर रोकने के लिए बनी योजनाएं हवा में उड़ गईं और बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण का दम घोट रहा है। प्रदूषण कम होना तो दूर, उल्टे बढ़ता ही चला गया। यहां प्रयास तो हुए, लेकिन सिर्फ कागजों पर। जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया, मगर वह भी दिखावा साबित हुआ। नतीजा देश में पर्यावरण प्रदूषण का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम किया है लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है।

पर्यावरण प्रदूषण के साथ सबसे अधिक बात की जाती है जलवायु परिवर्तन की। विशेषज्ञों की बारम्बार दी जारी चेतावनियों के बावजूद हम इस दिशा में सोच ही नहीं रहे हैं। पर्यावरण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की भी याद आती है। बेशक जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती और मानवीय परिस्थिति से जुड़ा भीषण खतरा है। यदि हमारी धरती यूं ही तपती-जलती रही, तो मानव और जीव की प्रकृति पर ही नकारात्मक असर पड़ना लाजिमी है। बढ़ते तापमान से आम आदमी का गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन उग्र होगा और वह ज्यादा हिंसक होता जाएगा। इनसानों में एलर्जी की समस्या भी बढ़ेगी। चींटियां पारिस्थितिकी संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे खेतों में कीड़े-मकौड़े चट कर जाती हैं और फसलों के पोषक तत्त्वों को बचाए रखती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से चींटियों का व्यवहार भी बदलेगा।

दुनिया में ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय होंगे, आकाश में बिजली की कड़कड़ाहट बढ़ेगी, जिससे जंगली आग की समस्या भी बढ़ेगी, समुद्रों में अंधेरा बढ़ेगा और पशुओं का आकार घटने लगेगा। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के और भी भयावह खतरे हो सकते हैं। भारत में ही प्रदूषण से औसतन प्रति मिनट में 2 मौतें होती हैं, तो पूरे विश्व स्तर की कल्पना हमें कंपा सकती है। दुनिया की आबोहवा बिगाड़ने में अमरीका की करीब 21 फीसदी हिस्सेदारी है। अभी वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक देश है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में तो अमरीका पहले स्थान पर है। बेशक कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से चीन सबसे आगे है, लेकिन अमरीका जब तक उत्सर्जन थामने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब तक बाकी देश पेरिस समझौते के मूल लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे। वायु प्रदूषण ने लाखों देशवासियों का जीना दूभर कर रखा है।

डाउन-टु-अर्थ मैग्जीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सालाना 10-30 हजार लोग वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं। आईआईटी मुंबई के जानकारों ने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर जो शोध किया उसके मुताबिक दिल्ली में सालाना मौत का यह आंकड़ा 14,800 है। वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एयर क्वॉलिटी लाइफइंडेक्स (एक्याएलआई) और शिकागो विश्वविद्यालय स्थित एनर्जी पॉलिसी इंस्टिट्यूट के ताजा अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर भारत में खराब हवा के कारण सामान्य इंसान की जिंदगी करीब 7.5 साल कम हो रही है। महत्वपूर्ण है कि 1998 में यह आंकड़ा 3.7 साल था यानी प्रदूषण के चलते औसतन लगभग साढ़े तीन साल पहले मौत हो रही थी। यह शोध कहता है कि 1998 और 2006 के बीच उत्तर भारत में प्रदूषण 72 फीसदी बढ़ा है। इस प्रदूषण की सबसे बड़ी चोट बच्चों पर पड़ रही है। भारत में हर 3 मिनट में एक बच्चा वायु प्रदूषण से हो रही बीमारियों से मर रहा है। ग्लोबल बर्डन ऑफडिजीस रिपोर्ट बताती है कि 2017 में करीब 2 लाख बच्चों की मौत जहरीली हवा से हुई यानी लगभग साढ़े पांच सौ बच्चों की हर रोज मौत।

पिछले साल लंबे इंतजार के बाद सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) की घोषणा की। अभी देश के 122 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। एनसीएपी के तहत इन शहरों को साल 2024 तक अपने वायु प्रदूषण को मौजूदा स्तर से 20-30 फीसदी कम करना है। हालांकि, इस प्रोग्राम की वजह से अब वायु प्रदूषण आधिकारिक रूप से एक राष्ट्रीय समस्या घोषित हो गई है और हवा को साफ करने की मुहिम दिल्ली के अलावा देश के कई दूसरे शहरों पर भी लागू होगी।

पर्यावरण मंत्रालय लगातार यह कहता रहा है कि जितने भी नियम-कानून हैं उनमे कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि शायद ही ऐसा कोई पर्यावरण से सम्बंधित कानून है जिसे उद्योगों के लिहाज से नरम न किया गया होगा। आज हालत यह है कि पर्यावरण को पूरी तरह से तहस-नहस करने वाले उद्योग सबसे पहले पर्यावरण स्वीकृति से लैस हो जाते हैं। जब सरकार वनवासियों के अधिकार की बात करती है, तब इन्हें अपने जमीन से दखल करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। पर्यावरण मंत्री को शायद नहीं मालूम हो पर वर्त्तमान में भी उद्योगों के खिलाफ कई जगह आन्दोलन किया जा रहे हैं। ये सभी उद्योग पर्यावरण स्वीकृति के बाद भी वर्षों से प्रदूषण फैला रहे हैं, भू-जल प्रदूषित कर रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों का नाश कर रहे हैं।

विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता में कमी और भूमि के बंजर होने के कारणों में इंसानी दखल को प्रमुख बताया, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब सकारात्मक दखल के जरिए इसे सुधारने और भावी पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने का समय आ गया है। पिछले 200 साल में हमने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है, उसे ठीक करना है। उन्होंने पौधों एवं कीट-पतंगों के लगातार कम होती किस्मों को भी पर्यावरण के सम्मुख गंभीर संकट बताया। समूचे विश्व में 2 लाख 40 हजार किस्म के पौधे और 10 लाख 50 हजार प्रजातियों के प्राणी हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजनर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) एक की रिपोर्ट में कहा कि विश्व में जीव-जंतुओं की 47677 विशेष प्रजातियों में से एक तिहाई से अधिक प्रजातियां यानी 15890 प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अनुसार स्तनधारियों की 21 फीसदी, उभयचरों की 30 फीसदी और पक्षियों की 12 फीसदी प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं। वनस्पतियों की 70 फीसदी प्रजातियों के साथ ताजा पानी में रहने वाले सरिसृपों की 37 फीसदी प्रजातियों और 1147 प्रकार की मछलियों पर भी विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। ये सब इंसान के लालच और जगलों के कटाव के कारण हुआ है। प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। ये जान लीजिए यदि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, उपजाऊ भूमि, शुद्ध वातावरण एवं शुद्ध वनस्पतियाँ नहीं मिल सकेंगी तो इन सबके बिना हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जायेगा।

कबीर के बोल आज भी प्रासंगिक

महाबल दास

> परिवर्तनकामी कबीर की संसार के लिए यही सबसे बडी देन है कि इन्होंने सत्य कर्म और मर्म को क्षेत्रीय भाषा में पिरो कर जनजागरण के ऐसे युग का सूत्रपात किया जो पाखंड, अंधविश्वास, व्रत उपासना, ईश्वरवाद , जातिवाद व वेद शास्त्र आदि से एकदम अलग व अनोखा था तथा सामाजिक आध्यात्मिक न्याय के क्षेत्र में कबीर का वही जनजागरण आज भी उतना ही प्रासंगिक व कारगर है। कबीर के द्वारा कहे गये शब्द तब भी वर्तमान के लिए असरकारक था जब उन्होंने अपने वर्तमान समय के आडम्बरों और पाखंडों को नंगा किया था और आज 600 वर्ष बाद भी वही वर्तमान है और आने वाले समय में भी वर्तमान ही रहेगा।

ईस्वी सन् 1398 में एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी का आगमन इस संसार में हुआ जिनके ज्ञान का डंका आज भी बज रहा है जिन्हें कबीर के नाम से जाना जाता है। कबीर का आगमन एक ऐसे समय में हुआ था जब चारों ओर पाखंड , अंधविश्वास, छुआ-छूत, ऊँच नीच, जातिवाद की बुराईयों का बोल बाला था। वह समय ऐसा था कि किसी धर्म संप्रदाय के पाखंड युक्त कर्म वा अंधविश्वास के विरुद्ध कोई बात कहना मतलब तलवार की धार पर चलने के समान था। कबीर का वह समय हिंसात्मक और मुगल शासकों के अत्याचार का समय था। यही वह समय था जब तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश शासन समाप्त हुआ था और एक आतंक का वातावरण चारों ओर फैल गया था। कबीर का समय ऐसा था कि दानवता की भयानकता को देख कर मानवता मुँह छिपा कर जीने को विवश हो गया था। अर्थात कबीर का युग ऐसा युग था जब समाज में अंधविश्वास, बाह्य आडंबर , जडता , रुढिवादिता , भ्रष्टाचार और आपसी बैर व हिंसा का साम्राज्य था। ऐसे समय में किसी पाखंड युक्त धार्मिक कर्मों तथा किसी धर्मावलम्बियों के विरुद्ध बोल कर उन्हें सत्य का बोध करना कितना कठिन कार्य था यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। देखा जाए तो संपूर्ण मध्यकाल दो सभ्यताओं के श्रेष्ठता का संघर्ष का काल था। ऐसे समय में किसी धर्म व संप्रदाय के अंधविश्वास और जडता व उनकी बुराई को उजागर करना किसी सामान्य पुरुष का कार्य नही है। कबीर अपनी गजब की वाकशैली , विलक्षण बुद्धि और अकाट्य उदाहरण के द्वारा असत्य बातों का खंडन कर अपने विरोधियों को अपनी सत्य बात मानने पर विवश कर देते थे। कबीर की हर बात अकाट्य होती थी और आज भी है , विरोधी तत्व कबीर के सामने निरूत्तर होकर चुप हो जाते थे। कबीर का युग धार्मिक परिवर्तन का भी युग था , यही वह समय था जब

कबीर जयंती पर विशेष

> **जग में बैरी कोई नही , जो मन शीतल होय। या आपा को डारि दे , दया करै सब कोय।।**
> **सब काहू का लीजिये , सांचा शब्द निहार।**
> **पक्षपात ना कीजिये , कहै कबीर विचार।।**

कबीर नाम के निषेध की एक ऐसी आंधी चली थी जिसने पाखंडी पूजा अर्चना, कर्मकांडी जीवन पद्धति, व्रत उपासना और पुरोहितवादी रुढ़ियों को चुनौती दी थी ।

मुरति धरि धंधा रचा , पाहन का जगदीश। मोल लियो बोलै नही, खोटा विश्वाबीस।। पाहन को क्या पूजिये, जो नहि देई जुबान। अंधा नर आशा मुखी, यों ही खावै आन।।

परिवर्तनकामी कबीर की संसार के लिए यही सबसे बडी देन है कि इन्होंने सत्य कर्म और मर्म को क्षेत्रीय भाषा में पिरो कर जनजागरण के ऐसे युग का सूत्रपात किया जो पाखंड, अंधविश्वास, व्रत उपासना, ईश्वरवाद , जातिवाद व वेद शास्त्र आदि से एकदम अलग व अनोखा था तथा सामाजिक आध्यात्मिक न्याय के क्षेत्र में कबीर का वही जनजागरण आज भी उतना ही प्रासंगिक व कारगर है। कबीर के द्वारा कहे गये शब्द तब भी वर्तमान के लिए असरकारक था जब उन्होंने अपने वर्तमान समय के आडम्बरों और पाखंडों को नंगा किया था और आज 600 वर्ष बाद भी वही वर्तमान है और आने वाले समय में भी वर्तमान ही रहेगा। कबीर ही वह पहले शख्स थे जिन्होंने ने ऊँच नीच , छुआ-छूत, वर्ण भेद व जाति व्यवस्था आदि की कडी आलोचना किया था। कबीर के नजरों में कोई छोटा कोई बडा नही था , कोई ऊँच कोई नीच नही था , कबीर सबको समान अधिकार और सम्मान के पात्र समझते थे। अपने इसी सम दृष्टता के कारण बहुत जल्दी जनता बीच लोकप्रिय हुये तथा बडी तेजी से कबीर के ज्ञान और सिद्धांत का प्रसार होने लगा था। आये एक ही बाट से , उतरै एक ही घाट। हवा लगी संसार की, हो गये बारह बाट।।

इस तरह कबीर ने अपने अकाट्य सत्य ज्ञान से ऊँच नीच व छुआ छुत की मार से बेबसी के जीवन जीने वाले लोगों के मनोबल को मजबूत किया तथा उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीनै की कला सिखाई। कबीर का ज्ञान सार बोधक व हृदय को छु लेने वाला है जिसके द्वारा आध्यात्मिक ही नही वरन सामाजिक पारिवारिक और सांसारिक जटिल समस्याएं भी सुलझ जाती है। कबीर का ज्ञान व्यवहारिक तथा सत्य शांति और समता पूर्वक जीवन जीने की कला है जिसमें छल कपट पाखंड अंधविश्वास ईर्ष्या राग द्वेष जैसे बुराईयों के लिए कोई स्थान नही।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

मौन भी बयां न

मौन भी बयां न कर पाता है... कुछ तो है उससे रिश्ता... जुबां से भी न बयां किया जाता है... दूर होकर भी हरदम पास होने का इक एहसास! कभी बच्चों सा मासूम... तो कभी बड़ो सा समझदार, वो रिश्ता... शब्दों से क्या मौन भी उसे बयां न कर पाता है!

– सरिता खोवाला

खास पाती

कभी कभी लोगों के लिए

कभी कभी लोगों के लिए किसी की मृत्यु उसे जानने का द्वार खोलती है। मैंने बहुत से लोगों को उनकी मृत्यु के बाद जाना उनके व्यक्तित्व से केवल परिचय ही नहीं हुआ बल्कि मैं प्रभावित भी हुई परन्तु पहले मैं उनसे पूरी तरह अपरिचित थी लेकिन कयी बार ये परिचित लोगों के साथ भी होता है कि हम उन्हें सही मायनों में उनके जाने के बाद ही जानते हैं ऐसे ही बहुत से लोग मुझे भी मेरी मृत्यु के बाद जानेंगे और खास वे भी मुझे और बहुत जान पाएंगे जिन्हें लगता है कि वे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं तब शायद उन्हें लगे कि उन्होंने मुझे जाना तो था मगर अपने रंग से इसलिए बहुत कम ही जाना था। – अनामिका चक्रवर्ती

ये दुनिया भी इक

ये दुनिया भी इक बेरहम बाज़ार है , दौलत ही जीने का यहां आधार है । ईमान की बोली लगाता है कोई , कोई अहम को बेचने तैय्यार है । हम तो समंदर को झुकाने वाले हैं , यारो किनारों की हवा बेकार है । मेरा पहाड़ों से है रिश्ता है यारो पर, इस धरती की सेवा मेरा संस्कार है । मेरा ही भाई आज दुश्मन है मेरा, रिश्तों का कैसा ये अजब संसार है ।

– डा: संजय दानी

बेरुखी से यूँ नहीं हमको

बेरुखी से यूँ नहीं हमको सताया कीजिये चाहतों को आप अपनी भी दिखाया कीजिये है निकलना बंद घर से मानते हैं आजकल ख्वाब में लेकिन हमारे आप आया कीजिये दुश्मनी की फाँस माना आपके दिल में लगी दुश्मनी में भी कभी तो मुस्कुराया कीजिये छोड़िये बेकार की बातें, गिले शिकवे सभी बिन शिकायत भी कभी तो दिन बिताया कीजिये आजकल देखो सहर है खूबसूरत शहर की लुत्फ इसका आजकल सब ही उठाया कीजिये। -बबिता गर्ग

ये जो बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं को

ये जो बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं को कूद कूद कर शादी की सालगिरह और जन्मदिन की बधाई देते हैं वह उन तक पहुंच पाता है ? वैसे माता पिता और हर मुसीबत में साथ खड़े होने वाले दोस्त और पड़ोसी का जन्मदिन याद है कि भूल गए हैं ?

– संजीव गुप्ता

आंखों में गंगा जल- धारा

आंखों में गंगा जल- धारा , मैँ उस बादल सा आवारा , पल्लव के अधरो पर बिखरा- मेरा नम-नम तरल तराना ! मंदिर ,मस्जिद औ' गुरुद्वारा, कहता आवारा जग सारा , सागर का साहिल हो मजहब, कायनात को अपना माना ! मेरा पंथ न सरहद माने , सिर्फमोहब्बत वाले गाने , बादल ने बोया बंजर में - जैसे नव-जीवन का गाना ! झुलस पंख कलियों ने खोया , किसे पता !मैँ कितना रोया , भावों ने पलकों पर लिखा - बूंदों. से कोई अफसाना ! – **अजय कुमार सिंह भदौरिया**

अपना घर मन बांधता हर

अपना घर मन बाँधता, हर लेता सब पीर चाहे संसारी रहे , चाहे रहे फ़क़ीर चाहे रहे फ़क़ीर, चैन मन में भर देता देता है दिन-रैन, स्वयं,कुछ भी नहिं लेता कहे कल्पना सोच,जीव का सच्चा सपना जैसा भी हो रूप , मिले सबको घर अपना। –**कल्पना मनोरमा**

दिल के सरताज बनोगे क्या!

दिल के सरताज बनोगे क्या! मेरे हमराज़ बनोगे क्या ! मेरे चेहरे पर छाई हर , रौनक का ताज बनोगे क्या! बीते कल की बात न जानूँ मेरा तुम आज बनोगे क्या ! दिल मेरा अब उड़ना चाहे, बोलो परवाज़ बनोगे क्या !गीत अगर जब कोई गाऊँ, ऐसे में साज बनोगे क्या !! – **मोहिनी गुप्ता**

कुछ कवियों पर माँ सरस्वती की

कुछ कवियों पर माँ सरस्वती की इतनी असीम कृपा है कि, वो रोज कम से कम तीन-चार कविता ठेल देते हैं ! जिसे पढ़कर हम जैसे कृपाहीन प्राणी ईर्ष्या-ईर्ष्या में तीन-चार बकैती ठेल देते हैं ! बीच में पीसते हैं आम फेसबुकिये ! जो फिर झुंझलाकर हम दोनों प्रकारों को अनफ्रेंड ठेल देते हैं ! – **यू एस मिश्रा स्वप्निल**

QUIZ TIME

1) निम्नलिखित में से कहाँ पर हिन्दी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? (लंदन / अबू धाबी / ओटावा / रियाद)

2) 'जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस' नामक वाणिज्य नीति निम्न में किसकी है? (यूएसए / यूरोपीय संघ)

3) 'ऑन लीडर्स एण्ड आइकॉन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी' पुस्तक के लेखक कौन है?

4) अरूणाचल प्रदेश के प्रथम दूरदर्शन चैनल, जिसका शुभारम्भ 9 फरवरी, 2019 को किया , का क्या नाम है?

5) भारतीय वायु सेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बन गई है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) अबू धाबी (2) यूएसए (3) कुलदीप नैयर (4) अरुण प्रभा (5) हिना जायसवाल

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1507 - इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनी। 1659 - मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1664 - मुस्तफा द्वितीय तुर्की का सुल्तान बना। 1806 - लुइस बोनापार्ट को हॉलैंड का राजा नियुक्त किया गया। 1846 - अमेरिका में फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत। 1882 - बॉम्बे (अब मुंबई) में तूफान और बाढ़ से करीब एक लाख लोगों की मौत। 1915 - डेनमार्क ने अपने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। 1942 - अमेरिका ने बुल्गारिया, हंगरी तथा रोमानिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1954 - बीबीसी ने अपने पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया।

न्यूज गैलरी

रुकेगा वेतनवृद्धि

दुर्ग। सफाई कर्मचारी खगेश्वर नागेश का दो वेतनवृद्धि और मई देय जून का वेतन रोके जाने का आदेश निगम आयुक्त इद्रजीत बर्मन द्वारा जारी किया। खगेश्वर नागेश सफाई कामगार शिव शर्मा अतिक्रमण प्रभारी के नेतृत्व में कार्य करता है। नागेश द्वारा विगत एक माह से कर्तव्य पर उपस्थित ना होकर अपनी उपस्थिति निष्ठा में कार्यालय आकर या घर से ही दर्ज किया जा रहा था। जिसकी सूचना निगम आयुक्त को देने के बाद सफाई कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरतने के कारण आगामी दो वेतनवृद्धि रोकने तथा वेतन देयक माह मई देय जून का वेतन रोके जाने का आदेश दिया।

जनप्रतिनिधियों ने किया निरीक्षण

कुम्हारी। मुख्यमंत्री बघेल अपने बजट में शासकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी है जिसके स्थापना हेतु डॉ सुशीलचन्द्र तिवारी उच्च शिक्षा के आदेश पर डॉ सीएल देवांगन कुलसचिव विवि, प्राचार्य अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातक महाविद्यालय उतई सहित अन्य अधिकारियों के साथ में नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष रवि कुमार, मनहरण यादव, लोक निर्माण प्रभारी जानकी ध्रुव, जल प्रभारी प्रमोद सिंह राजपूत, पार्षद सती यादव, लेखराम साहू, निलिश देवांगन उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा स्थापना सम्बंधित संपूर्ण निरीक्षण किया।

अमलेश्वर में दिल्ली से आया कोरोना पॉजीटिव

चरोदा एवं ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर कन्टेनमेंट जोन घोषित

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। जिले की सीमा के सबसे आखरी छोर पाटन विधानसभा के अमलेश्वर गांव में गुरुवार को एक 30 वर्षीय युवक कोरोना पॉजीटिव पाया गया। प्रभावित युवक अपनी पत्नी के साथ 25 मई को दिल्ली से अमलेश्वर के ग्रीन अर्थ कालोनी स्थित निवास में पहुंचा था। 31 मई को उन्होने कोरोना जांच के लिए सेम्पल दिया था। बुधवार की रात आई रिपोर्ट से कोरोना पॉजीटिव की पुष्टि हुई। कालोनी के पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।वही प्रभावित व्यक्ति के परिवार के अन्य 6 सदस्यों व कालोनी के चपरासी व गार्ड सहित 8 लोगों को होम क्वारंटाईन में भेज दिया गया है।

जिले में कोरोना पॉजीटिव का यह 15 वां मामला है। इसमें 11 लोग सकुशल स्वस्थ हो चुके है। शेष 4 में एक की मौत हो चुकी है और 3 सक्रिय कोरोना पॉजीटिव है। अमलेश्वर के युवक को उपचार के लिए शंकराचार्य कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

वही जिला अंतर्गत वार्ड 22 दादर रोड नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा एवं ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर तहसील पाटन में एक.एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। इन क्षेत्रों में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी। चिन्हांकित क्षेत्रांतर्गत सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी एकन्टेनमेंट जोन के अन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्ही कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी एवं निर्देशानुसार सैंपल इत्यादि जॉच किया जाएगा।

महापौर ने कराई नाली निर्माण कार्य की शुरुवात

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत वार्ड 35 में 2 किलोमीटर पक्की नाली बनाया जाएगा जिसके लिए आज महापौर एवं विधायक देवेन्द्र यादव ने स्थानीय पार्षद कृष्णा वेणी काली प्रसाद एवं वार्ड के कुछ वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में कार्य की शुरुआत की। 48 लाख की लागत से होने वाले निर्माण कार्य से क्षेत्र के नागरिकों को सहूलियत मिल सकेगी। वार्ड 35 में लंबे समय से पक्की नाली बनाने के लिए स्थानीय नागरिक व पार्षद मांग कर रहे थे जिसे महापौर श्री यादव के द्वारा पूरा कराए जाने के बाद वार्डवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए महापौर व निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया। महापौर यादव ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाली निर्माण का कार्य तय कार्यअवधि में पूर्ण किया जाए ताकि वार्ड 35 के नागरिकों को सुविधा मिल सके और जल का प्रवाह निरंतर बना रहे। 2 किलोमीटर तक पक्की नाली बनने से क्षेत्र में बारिश का पानी तथा घरों से निकलने वाले निस्तारी के पानी की निकासी पहले और बेहतर हो जाएगी। निगम के जोन क्रं. 04 अंतर्गत वार्ड 35 में पक्की नाली बनाया जाएगा।

आयुक्त के निर्देश पर अधिकारी ने ली बैठक

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से मिलेगी चिकित्सा सुविधाएं

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम क्षेत्र मे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम सभागार में नोडल अधिकारी तरुण पाल लहरें ने बैठक ली। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) जारी किया जा चुका है। इस योजना के तहत निगम क्षेत्र के नागरिकों को उनकी बस्ती, मोहल्ले, पारा में ही चिकित्सा की उन्नत सेवा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से मिल पाएगी। निवास के समीप ही सुविधा प्राप्त होने के कारण स्लम क्षेत्र के नागरिक इसका सहज ही लाभ प्राप्त कर पाएंगे साथ ही उन्हें अपने कार्यो से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी एवं बच्चों की पढ़ाई भी निरंतर चल सकेगी! यह सेवा बिल्कुल निशुल्क होगी! मोबाइल मेडिकल यूनिट से होगा परीक्षण इस योजना के अंतर्गत चलित वाहन जिसमें चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध होंगे के साथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्लम क्षेत्र में निर्धारित स्थल जो कि सामान्यतः सांस्कृतिक भवन, सांस्कृतिक चबूतरा, वार्ड कार्यालय, निकाय के अन्य भवन के पास पहुंचेंगे जहां पर रोगियों के बैठने, पेयजल तथा अन्य अनुषांगिक सुविधाएं निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी! मोबाइल मेडिकल यूनिट में अनुपलब्ध परीक्षण की सुविधाएं समीपस्थ शासकीय चिकित्सालय से प्राप्त की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को लेकर सभागार में हुई बैठक आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर सभागार में बैठक हुई जिसमें नोडल अधिकारी तरुण पाल लहरें ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। चयनित एजेंसी को 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री बघेल प्रदेशवासियों की नजर में पहले नंबर पर : वोरा

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। विधायक अरूण वोरा ने आईएएनससी वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2020 सर्वे में देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के नजर में मुख्यमंत्री बघेल पूरे देश में सबसे उत्कृष्ट मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का काम दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि पहले नंबर पर है। वोरा ने कहा कि पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने किसानों की कर्जमाफी और 25 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी के साथ न्याय योजना शुरू कर बहुत बड़े राहत भरे फैसले किए हैं। देश में धान का सबसे ज्यादा मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। इसी तरह वनोपज का मूल्य भी आदिवासियों को सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। इन फैसलों से परेशानहाल किसानों व आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। इसी तरह भूपेश सरकार ने हाट बाजार क्लीनिक, मोहल्ला क्लीनिक जैसी योजनाएं शुरू कर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके इलाज की चिंता की है। हाफ बिजली बिल जैसी योजना लागू कर पूरे छत्तीसगढ़वासियों को बड़ी राहत देने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया है।

आयुक्त ने दिए नालियों की गहन सफाई करने के निर्देश

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। बारिष पूर्व निगम वार्ड रूआबांधा के बड़ा नाला का युद्ध स्तर पर सफाई कार्य किया जा रहा है जहां पर निगम के सफाई गैंग कर्मचारियों द्वारा बड़े नाला में 2 से 3 फिट जमे मिट्टी एवं कचरे को निकाल कर बारिश में पानी की सुगम निकासी हेतु व्यापक रूप से नाला की सफाई की जा रही है। निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे एवं जोन आयुक्त रमाकांत साहू द्वारा नालियों की सफाई कार्य का जायजा लिया गया।

श्री सर्वे द्वारा बड़ा नाला के साथ साथ गलियों में बनी छोटी छोटी नालियों के पानी की समुचित निकासी की जानकारी प्राप्त की साथ ही नाला की प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम छोर तक की जानकारी प्राप्त कर नाला व नालियों की गहन सफाई करने के निर्देष स्वास्थ्य अमला को दिये है। सफाई उपरांत नाला के आसपास स्थलों की ब्लिचिंग पाउडर एवं किटनाषक दवाई का छिड़काव करने का भी निर्देष आयुक्त द्वारा स्वास्थ्य अमला को दिये है। श्री सर्वे के निर्देश पर मानसून पूर्व रिसाली निगम क्षेत्रांतर्गत वार्डो के नालों का व्यापक रूप से चैन माउन्टेन मशीन, जेसीबी मशीन तथा सफाई गैंग कर्मचारियों द्वारा व्यापक रूप से कराया जा रहा है ताकि बारिष में स्थानीय रहवासियों को पानी की जमाव के मद्देनजर बारिष के समय उत्पन्न जनजनित एवं संक्रमित बिमारियों से बचाया जा सके।

नई कार्यकारिणी गठित

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। 3 वर्षो के लिए बनाई गई साधुमार्गी जैन श्रावक संघ के प्रमुख गौतमचंद बोथरा को ओसवाल पंचायती का अध्यक्ष एवं गौतम सांखला को मंत्री तथा ताराचंद काकरिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही उपाध्यक्ष प्रेमचंद लोढ़ा एवं अनिल डाकलिया बनाए गए। सहमंत्री अशोक रतन बोहरा एवं नवीन बोथरा तथा ज्ञानचंद ढेलाडिया महावीर कॉलोनी जैन भवन का प्रभारी तथा नवीन संचेती को ओसवाल भवन एवं बर्तन विभाग का प्रमुख बनाया। साधुमार्गी जैन संघ से पृथ्वीराज पारख, सुभाष चंद छाजेड़, निर्मल बोथरा, दिलीप देशलहरा, राजेंद्र श्रीश्रीमाल, गौतम श्रीमाल, सुधर्म एवं समरथ गच्छ से उमेद सांखला, मोहन कोचर, राजा सांखला, जोहरीलाल बाफना, कचरमल बाफना, सुनील संचेती, दिलीप बोहरा, मूर्तिपूजक संघ से राजेंद्र मारोठी, मोहनलाल लोढ़ा, धन गोलछा तथा श्रमण संघ से मदन जैन, विजय कर्णावट, महेंद्र संचेती, जयचंद चोरड़िया, सुधीर बाघमार को मनोनीत किया गया।

सीएम को सौंपा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 लाख का चेक

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। वैश्विक महामारी कोविड.19 के संभावित प्रकोप से बचाव और सुरक्षा के लिए आज भारत समेत पूरा विश्व एक युद्धस्तर पर संघर्षरत है। ऐसे में प्रत्येक राज्य सरकार, सरकारी संस्थान, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, बैंकर्स एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग अपने स्तर पर देशहित और सामाजिक हित के लिए कृतज्ञापूर्ण कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी इस समस्या से बचाव के लिए पूर्णतः प्रयासरत है। हाल ही में आईएएनएससी द्वारा किए गए सर्वे में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर की गई रेटिंग में राज्य के मुख्य मंत्री बघेल देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश वासियों के लिए हर्ष की बात है। श्री बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वाइरस के संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है जो की सराहनीय है। इसी सामाजिक हित के भाव से बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पाँच लाख की सहायता राशि का चेक श्री बघेल को सौंपा गया। क्षेत्रीय प्रबन्धक डॉ. रमेश मोहंती ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में सामाजिक सहयोग की दिशा में सहायक कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदीप कुमार यादव उपस्थित थे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री अरुण कुमार चौहान | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202005100400125

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अरुण कुमार चौहान आ. श्री विपत उर्फ दीपेश्वर चौहान निवासी आर्य नगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न. 19 तह.व जिला दुर्ग	828/1 का टु.	0.0364 हें 3917 वर्गफीट	वाणिज्यिक पेट्रोल पंप

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम बजरंगलाल सुथार | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202005100400075

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री बजरंगलाल सुथार आ. अमरचंद सुथार निवासी क्वा. नं. 24/बी सी पाकेट मडौदा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	645/61	0.018 हें 1972 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम मणिराज सिंह | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202005100400080

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक मणिराज सिंह आ. स्व. श्री रामकन्हाई सिंह निवासी क्वा. नं. 6 डी सड़क 1 सेक्टर 08 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	645/62	0.016 हें 1792 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400299

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक तुषारकांत मुखर्जी आ. निर्मलचंद निवासी सेक्टर 2 भिलाई द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 29 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 311/14 रकबा 0.02 हें/ अर्थात 2400 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400464

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक बिहारीदास आ. भावदास निवासी उमरपोटी द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 791/6 रकबा 0.01 हें/ अर्थात 1600 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./41/अ-6(अ)/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ढालू दास साव पिता जेठूदास साव, निवासी ग्राम तोरकटा तहसील व जिला राजनांदगांव द्वारा ग्राम पोटियाकला प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 88/176 रकबा 0.042 हे./ लगान 46.00 रु. आवेदक के नाम पर दर्ज है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि की वर्तमान आनलाईन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम त्रुटिवश बाबूदास साव दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जिसे सुधार करवाना चाहता है। ग्राम पोटियाकला प.ह.न 23 स्थित भूमि 88/176 रकबा 0.042 हे. लगान 46.00 रु में आनलाईन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम त्रुटिवश बाबूदास साव दर्ज है जिसे सुधार कर सही नाम ढालू दास साव पिता जेठूदास साव दर्ज करने हेतु मय दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 24.06.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.06.2019 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./926/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संतोष कुमार जायसवाल पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम नयापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग केद्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 35/1 का टु. रकबा 1837 वर्गफुट हें. भूमि को विक्रेता श्रीमती शांता देवी भुतड़ा पति विट्ठलदास भूतड़ा निवासी ग्राम गंजपारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 16.03.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 06.06.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.05.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र देवांगन पिता स्व. भीखम लाल निवासी ब्राम्हण पारा तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पिता भीखम के नाम पर ग्राम मोहलई प.ह.नं. 06 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 442, 843 रकबा 0.100, 0.400 हे. भूमि एकल खाता में दर्ज है। खातेदार भीषणलाल की मृत्यु दिनांक 20.02.2017 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 15.06.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.06.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती कौशिल्या श्रीवास्तव | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202005100400477

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती कौशिल्या श्रीवास्तव पति श्री शंकर श्रीवास्तव निवासी कैम्प-2 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कुरुद प.ह.न. 19अ/50 तह.व जिला दुर्ग	1549/14	0.03 हें 3000 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती उर्मिला देवी | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202005100400803

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती उर्मिला देवी पति श्री ईश्वर प्रसाद निवासी रुआबांधा भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कुरुद प.ह.न. 50 तह.व जिला दुर्ग	340/6	0.040 हें 4002 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री किशनलाल | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202005100400087

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री किशनलाल आ. शिवदयाल, निवासी म.न. 131 क, डबरीपारा रिसाली बस्ती भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	718/10	0.010 हें 1200 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202005101000079/485

विषयः अ-6 वर्ष 2019-20

कोहका प.ह.न. 00019(8246/1(0.0200हें.)

पक्षकारों का विवरण :आवेदक पक्षकार-गुरुदेव सिंह रंधावा

अनावेदक पक्षकार-.....

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गुरुदेव सिंह रंधावा पिता स्व. बी.एस. रंधावा निवासी सुंदर नगर भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न 19 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 2461 रकबा 0.02 हें वर्तमान राजस्व अभिलेख में मनजीत कौर पति स्व. बी.एस. रंधावा के नाम पर दर्ज है। उक्त आवेदित भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 17.12.2016 को हो गया है। मृतक भूमिस्वामी के द्वारा मृत्यु पूर्व अपने जीवनकाल में आवेदक के नाम पर वसीयतनामा निष्पादित किया था भूमिस्वामी की मृत्यु होने पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 18.06.2020 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28.05.2020 को जारी किया जाता है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./09/अ-19(3)/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर दुर्ग जिला दुर्ग से प्राप्त आवेदन दिनांक 21.11.2019 सामाजिक भवन परिक्षेत्रिय साहू समाज न्यू आदर्श नगर दुर्ग हेतु ग्राम पोटियाकला प.ह.नं. 23 अ रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 162/1/1 में से रकबा 60X110=6600 वर्गफुट (0.061 हे.) भूमि सामाजिक हित में सामाजिक भवन हेतु भूमि आबंटन करने बाबत् प्राप्त हुआ है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 15.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.05.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./203/अ-20(1) वर्ष 2019-20

आवेदक मो. मुमताज खान पिता स्व. अब्दुलहई खान निवासी मोहन नगर दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित मोहल्ला मोहन नगर दुर्ग नजूल भूमि शीट क्रमांक 09 भूंखड क्र 3/7 क्षेत्रफल 990 वर्गमीटर आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड स्थाई नजूल पट्टे पर उन्हे प्राप्त है, जिसकी पट्टा अवधि 2032 है। छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 04-07/7-1/2019 दिनांक 11.09.2019 एवं 26.10.2019 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में धारक/ पट्टेदार द्वारा शासन की शर्तो के अनुरुप उक्त भूखण्ड का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18.06.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04.06.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

(धारा 178 प्रारुप)

क्योकि मौजा रवेलीडीह तहसील व जिला दुर्ग के सहभूमि स्वामी श्रीमती गुलशन बी आ. स्व. गुलाब खां साकिन अहिवारा तहसील व जिला दुर्ग ने निम्नांकित अनुसूचि में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्योकि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है एवं सुनवाई का दिनांक 22.06.2020 स्थान तहसील कार्यालय दुर्ग पर दिन 11.00 बजे नियत किया गया है उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो एवं अपनी आक्षेपों यदि कोई हो तो पेश करें।

उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नही होने पर एवं आक्षेपों को पेश नही कर पाने की स्थिति में आक्षेपों पर विचार नहीं किया जावेगा।

खाते का विवरण :- खसरा नं. 551, रकबा 0.074/ 1.85 डिसमिल

आज दिनांक 24.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

अ-74/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक संतोष चांडक पिता कुंजीलाल जी निवासी उरला के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि उनके भूमिस्वामी हक की भूमि मौजा ग्राम उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 961/5 रकबा 0.024 हे. भूमि दर्ज है। उक्त भूमि का मूल ऋण पुस्तिका गुम हो गया है जिसका द्वितीय प्रति में ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 08.06.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21.05.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

■ न्यूज गैलरी

ठेठवार पारा में अब नहीं होगी पेयजल समस्या

महासमुंद। नयापारा के लोगों को पेयजल संकट से अब दो चार होना नहीं पड़ेगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर एवं वार्ड पार्षद कमला बरिहा ने पूजा-अर्चना कर नए नल कनेक्शन के साथ सीधे घरों तक पानी सप्लाई की शुरुआत की है। संजय नगर वार्ड 5 के ठेठवारपारा के सौ परिवार ऐसे हैं, जिन्हें प्रति वर्ष पेयजल संकट का सामना करना पड़ता था। वार्ड पार्षद एवं मोहल्ले वालों की मांग एवं समस्या की गंभीरता को देखते हुए नए नलकूप खनन के साथ नल कनेक्शन एवं 24 घंटे पेयजल की सुविधा के लिए 5 हजार लीटर टंकी स्थापित की गई। बुधवार को पालिका अध्यक्ष चंद्राकर ने इसकी शुरुआत की है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष चंद्राकर ने शहर के नागरिकों को बेहतर पेयजल व्यवस्था मुहैया कराने के संकल्प लिए जल विभाग का कमान स्वयं संभाले हुए हैं। इसी को पूरा करते हुए ठेठवार पारा में निवासरत लोगों को सीधे बोर से नल कनेक्शन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं बिजली चले जाने की स्थिति में भी पानी की समस्या नहीं होगी। अब टंकी से भी पानी भरने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सभापति राजेन्द्र चंद्राकर, देवीचंद राठी, पार्षद मीना वर्मा, श्यामलाल साहू, खोरबाहरीन साहू, हीरालाल चौहान, उषा चौहान, शत्रुघ्न यादव, मिलऊ बरिहा सहित मोहल्लेवासी उपस्थित थे।

महासमुंद जिले में कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मरीज मिले

महासमुंद। जिले में बुधवार को कोरोना के 12 धनात्मक प्रकरण की पुष्टि हुई है। जिसके बाद इन इलाकों को सील कर दिया गया है। इधर, महासमुंद में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर देर रात प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने जांच के बाद मामले के धनात्मक रिपोर्ट की सूचना जिला प्रशासन को दी है। जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी इसकी पुष्टि की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बसना विकासखण्ड के ग्राम जलकोट में 02 और बरतियाभाठा में 03, कुम्हारी में एक, सुखापाली में 02, सरायपाली के ग्राम तोषगांव में 02, सिरबोड़ा मे 01 व्यक्ति एवं महासमुंद नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 01 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से 9 पुरुष एवं 3 महिला हैं।

हेमलता ठाकुर को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश

महासमुंद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (छग) के आदेश के अनुसार जांच अधिकारी एवं अपर जिला न्यायाधीश छमेश्वर लाल पटेल द्वारा राधामणि ठाकुर पंचशील वार्ड 19 महासमुंद निवासी सहायक ग्रेड-03 हेमलता ठाकुर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई है। न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इस प्रकरण में हेमलता ठाकुर से 22 जून को 11 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी (छग) में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आदेश में यह भी कहा है कि अनुपस्थिति की दशा में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

दो फरार आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद। अपराध करने के बाद से फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने पकडऩे में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक कोमाखान कोल्दा निवासी ढालेन्द्र उर्फ राजू साहू पिता लतेल राम साहू (25) और अश्विनी ठाकुर पिता निराला ठाकुर (26) पर पुलिस ने धारा 294, 323 ,341, 506, 326, 435, 34 के तहत अपराध दर्ज किया था। मामले के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। चौकी प्रभारी एसआई तीर्थराज ने दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा।

भालू के हमले से ग्रामीण घायल

महासमुंद। पिथौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम भुरकोनी जंगल में लकड़ी एकत्र करने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। भालू ने उसके पैर काटकर उसे घायल कर दिया। उन्हें उपचार के लिए पिथौरा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार सुबह 9 बजे की है। रेंजर यू आर बसंत ने बताया कि भुरकोनी निवासी हेमसिंग लकड़ी एकत्र करने जंगल गया हुआ था। जगंल में घूम रहे भालू ने उस पर हमला कर दिया जान बचाने के लिए भागने के दौरान भालू ने उसके पैर को काट लिया जिससे वह घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से उन्हे पिथौरा सीएचसी में भर्ती कराया गया है जहां उपचार जारी है। तात्कालिक सहायता के तौर पर उन्हे पांच सौ रूपए की आर्थिक मदद दी गई है।

प्रतिक्रियाओं को दबाना लोकतंत्र के लिए घातक : चोपड़ा

महासमुंद। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता डा विमल चोपड़ा ने कांग्रेस के लोगों द्वारा वाट्सअप एवं फेसबुक में सरकार एवं उसके प्रतिनिधियों की निंदा को लेकर कराई जा रही एफआईआर को लोकतंत्र के निंदक नियरे राखिए की कल्पना पर कुठाराघात बताया है। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी प्रतिक्रियाओं को दबाने वाली यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक है। डा चोपड़ा ने कहा कि कुछ समय से सत्ता पक्ष के लोग अपनी स्वस्थ निंदा को भी पचा नहीं पा रहे हैं।

नेशनल हाईवे और पैरी नदी पार कर हाथी के झुंड ने गरियाबंद जिले से किया धमतरी जिले में प्रवेश

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। जिला मुख्यालय से लगे आसपास के गांवों मे दो दिन तक दहशत फैलाने के बाद हाथी का झुंड बुधवार शाम पैरी नदी पार कर गरियाबंद जिले से धमतरी जिले में प्रवेश कर गया। वन मंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शाम सात बजे के करीब हाथी का झुंड नेशनल हाईवे को पार कर पैरी नदी के किनारे धमतरी जिले के घने जंगल इलाके की ओर बढ़ गया है। इसकी सूचना धमतरी जिले के वन मंडलाधिकारी को भी दे दी गई है। वहीं कि ऐहतियात के तौर पर पांडुका परिक्षेत्र के ग्राम बारूका में वन अमले की टीम को तैनात रखा हैं। नदी किनारे स्थित धमतरी जिले के ग्राम मोहरा और गरियाबंद के ग्राम पंटोरा को अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि कालर आईडी से हाथी के झुंड की लोकेशन मिलने के बाद पता चल सकेगा कि वह धमतरी जिले के कौन से इलाके की ओर आगे बढ़ा है।

इसके पहले हाथी को पार करने के दौरान करीब एक घंटे नेशनल हाईवे को ब्रेक करना पड़ा, वन अमले के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। एक ओर जहां बारुका में आवाजाही को रोका गया वही दूसरी ओर मोहरा के पास रास्ते को ब्लाक किया गया।चुकीं अंधेरा होने के बाद हाथी के झुंड ने नेशनल हाईवे पार किया इसके चलते झुंड के पार होते तक वन मंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल, एसडीओ मनोज चंद्राकर मौके पर ही मौजूद रहे।

इसके पहले बुधवार को दिनभर हाथी के झुंड को लेकर आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत माहौल बना रहा है। चार रेंज के अफसरों के साथ वन विभाग के एसडीओ मनोज चंद्राकर और पूरा स्टाफ ने दिनभर हाथी के झुंड और उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। कालर आईडी से मिली लोकेशन के आधार पर ग्राम हरदी, सुहागपुर, कस, पंटोरा, बहेड़ाबुढा, मालगांव, कोदोबतर, टोईयामुंढा और बारुका में हाथी के झुंड के आने की संभावना को लेकर वन अमले के कर्मचारी दिनभर मुस्तैद रहें। मंगलवार रात से ही इन गांवों मे मुनादी करा दी गई थी।

मंगलवार को ग्राम हरदी और कोचवाय के जंगल से हाथी का झुंड अपना रुख बदल कर कर ग्राम गंजईपुरी के कमारपारा तक पहुच गए थे। वन अमले को मशाल जलाकर हाथी के झुंड को जंगल की ओर भगाना पड़ा। इसके वन विभाग ने पुलिस की भी मदद ली। वही सुबह होते ही यह झुंड सुहागपुर से होते हुए ग्राम घुटकुनवापारा के जंगलो में पहुंच गया है। जिसके बाद इसे बहेड़ाबुढा के पास देखा गया जो बाद वहां से होते हुए नेशनल हाईवे से एक किमी अंदर ग्राम बारुका के पाठार इलाके में दिनभर डेरा डाला रहा। रातभर मे हाथी के झुंड ने करीब सात किमी की दूरी तय की।

ज्ञात हो की पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हाथियों का झुंड जिले में पहुचने से क्षेत्र मे दहशत का माहौल हैं। यह झुंड जिला मुख्यालय पहुंचने से मात्र सात किमी दूर रहा। इसके चलते वन अमला भी दो दिनों से काफी चिंतित रहा। बकायदा वन विभाग और पुलिस विभाग के बडे अफसर भी हाथी के झुंड के गतिविधि को लेकर बारिकी से नजर रखी, क्योकि 48 घंटे के भीतर ही हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत की मौत हो गई है। इसके कारण अधिक संख्या प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियो को इस काम में तैनात किया गया। हालाकि हाथी का झुंड धमतरी जिला प्रवेश कर गया फिर भी आगामी एक दो दिनो के लिए हाथी के झुंड की लोकेशन को लेकर भी आसापास के ग्रामीण क्षेत्रो में भय का माहौल रहेगा। वन अमला भी इस पर नजर रखेगा।

बच्चे होने के कारण यह झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ हाथियों का झुंड

हाथी की झुंड में बच्चे होने के कारण यह झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हैं। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस झुंड में पांच दिन का नवजात बच्चा भी शामिल है जिसके कारण हाथी का झुंड अधिक सतर्क हो गया है। आसपास ग्रामीणों की हलचल से बौखला जा रहा है इसके चलते मंगलवार को झुंड ने ग्राम हरदी जंगल के उनके पास पहुचे एक व्यक्ती को कुचल कर मार डाला। वही नवजात बच्चे के चलने की रफ्तार कम होने के कारण और उसके जल्दी थक जाने के कारण यह झुंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी तय करने में ज्यादा समय ले रहा है जानकारी के मुताबिक हाथी का झुंड एक ही रात में करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है परंतु यह झुंड केवल तीन-चार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आसपास की जंगल में ही डेरा बनाए हुए हैं विशेषकर यह झुंड तालाब किनारे जहां पानी पीने की पूरी व्यवस्था हो ऐसे इलाके में ही ठहर रहा हैं।

धमतरी वन विभाग ने किया ग्रामीणों को सतर्क

गरियाबंद जिला से धमतरी जिला में हाथियों के झुंड के प्रवेश करने के बाद वन विभाग ने आसपास के ग्रामीण इलाकों में मुनादी करा दी है। धमतरी जिले के बिरगड़ी फारेस्ट एसडीओ हरीश पांडे ने बताया कि सभी वन परिक्षेत्र अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है इसके अलावा सभी गांव में कोटवाल के माध्यम से मुनादी करा दी गई है उन्होंने बताया कि गरियाबंद से 21 राशियों के झुंड की धमतरी जिला में प्रवेश करने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक हाथियों का झुंड सिंगपुर और दुगली के बीच जंगल इलाकों में विचरण कर रहा है।

झोपड़ीनुमा सब्जी दुकान में आग लगाने वाला शातिर गिरफ्तार

■ **सीसीटीव्ही कैमरे के मदद चंद घंटों खोज निकाला पुलिस ने**

गरियाबंद। नगर के सब्जी बाजार में एक झोपड़ीनुमा सब्जी दुकान में आग लगाने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने चंद घंटों मे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मिशन सिक्योर सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीव्ही कैमरे पुलिस को खोजबीन मे सहायत साबित हुए है। थाना प्रभारी आर के साहू ने बताया कि एक दो जून की मध्यरात्रि करीब 02:00 से 02:30 के बीच अज्ञात आरोपी ने राकेश सिन्हा के झोपड़ीनुमा सब्जी दुकान मे आग लगा दी थी। सूचना पर पुलिस ने दमकल की मदद से आग बुझाई। घटना में राकेश सिन्हा के 12 हजार रूपये का सब्जी, 90 नग कैरेट लगभग 27,000 रुपये एवं 1000 रूपये का अन्य सामान कुल 40000 रूपये का नुकसान हुआ वही बाजू के अन्य दुकान में श्रीमति बेलो बाई आलु प्याज एवं अन्य सामान लगभग 10000 रूपये तथा वेदराम साहू के झोपड़ी नुमा दुकान/लारी में आग लगने से दुकान में लगे तिरपाल एवं लकड़ी कीमती 1000 रूपये भी जल गया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी की छान-बीन शुरू की इस दौरान घटना स्थल के आसपास के दुकानों मे लगे

सीसीटीव्ही कैमरे के फुटेज खंगाले गए। फुटेज के आधर पर पुलिस ने एक संदेही तरूण कुमार सोनवानी पिता स्व0 नंदकुमार सोनवानी 19 वर्ष निवासी रावणभाठा गरियाबंद से पूछताछ की गई जिसमें आरोपी ने आग लगाने की बात स्वीकर कर ली। आरोपी के विरूद्ध धारा 436 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे जेल भेज दिया गया है। कार्यवाही में निरीक्षक आर0के0 साहू, सउनि मोहन सिंह ठाकुर, आर0 ललित नेताम, प्यारी साहू, कुंभज साहू, रविशंकर सोनवानी शामिल थे।।

गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे धरमगढ़ उड़ीसा के दो तस्कर गिरफ्तार

गरियाबंद। देवभोग पुलिस ने दो गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल हैं। दोनो गांजा तस्कर पडोसी राज्य ओडिशा के धरमगढ जिले के रहने वाले हैं जिसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस ने बताया कि आरोपियों के पास से 25.860 किलो गांजा जप्त किया हैं जिसका बाजार मुल्य लगभग एक लाख पच्चीस हजार है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए ने उन्होंने आगे बताया कि मुखबिर से सुचना मिली थी ग्राम खुटगांव सेंदमुडा जाने वाले आम रास्ता में तेल नदी के पास एक मोटर सायकल में दो लोग एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में गांजा रखकर ग्राहक की तलाश व इंतजार में घुम रहे है। सूचना के आधार पर टीम बनाकर मौके पर भेजी गई। मुखबिर के बताये हुलिया अनुसार तेलनदी के पास दो व्यक्ति एक मोटर सायकल में दो अलग-अलग सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी रखे हुए खड़े थे। पूछताछ करने और बोरी की जांच करने पर आरोपियों के रखी दो बोरी मे क्रमशः 5.240 किलोग्राम व 20.620 किलोग्राम कुल 25.860 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया। इसके अलावा एक हीरो होंडा मोटर सायकल क्रमांक 05 7076 चालक भी जप्त की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपी विनायक पण्डा पिता अशोक पण्डा उम्र 28 साल निवासी पाण्डेश्वर मंदिर रोड थाना धरमगढ़ जिला कालाहण्डी (उडीसा) व पद्मचरण नायक पिता शंकर नायक उम्र 20 साल निवासी तीन चौक पण्डा, थाना धरमगढ़ जिला कालाहण्डी (उडीसा) के विरूद्ध धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है।

नाबालिक का अपहरण करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद। दिनांक 03.06.2020 हेमलाल सागर पिता बिसर सागर उम्र 50 वर्ष निवास ग्राम खोखसा थाना बसना ने थाने में रात्रि लगभग 08:00 बजें आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की उसका लड़का लल्ला सागर और भतीजा घर से सोल्ड प्लसर मोटर सायकल लेकर महासमुंद में काम है बोलकर निकले थे अभी तक घर नही पहुचें है और मेरे लड़के लल्ला सागर के मोबाईल नं0 से किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और कहा की मैने तुम्हारे लड़के को किडनैप किया है अगर उसे छुड़ाना चाहते हो तो पैसे लेकर पटेवा आ जावओं अगर इसकी सूचना पुलिस में दो गे तो मैं तुम्हारे लड़के को जान से मारकर फेक दुंगा हेमसागर उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है परंतु कुछ देर बाद उसे दूसरे मोबाईल नम्बर से फोन आता है और अज्ञात किडनैपर खुद को मूर्गा वाला बोलकर पैसा लेकर तुमगांव के होटल में आने को कहता है। प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर थाना पटेवा में धारा 364ए,34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। जिलें में घटित किडनैपिंग की इस घटना की सूचना त्वरित थाने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को दी जाती है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित गति से चार टीमो का गठन किया जाता है। अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पहली टीम अनु0अधिकारी (पु) पिथौरा श्री पुप्लेश पात्रे के नेतृत्व में प्रार्थी के साथ रहकर अज्ञात किडनैपर किस मोबाईल नं0 से फोन कर रहा है। इसकी जानकारी हासिल करने के साथ ही प्रार्थी को किडनैपर के साथ किस तरह बात करके उससे निगोसीएशन करना तथा किडनैपर को प्रार्थी के बताये स्थान पर पैसे देने के लिए तैयार करना था। दूसरी टीम थाना प्रभारी पटेवा लेख राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रार्थी के पूरे इतिहासवृत को जानना था। तीसरी टीम थाना प्रभारी तुमगांव किडनैपर द्वारा पैसे मांगे जाने वाले स्थान पर पहुचकर वहा घेराबंदी करना था तथा चैथी टीम सायबर सेल प्रभारी संजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में किडनैपर एवं प्रार्थी के मोबाईल नम्बरों को खंगाल रही थी।

विधायक ने किया सामुदायिक भवन व सीसी रोड का भूमिपूजन

महासमुंद। ग्राम पंचायत सिरपुर में सामुदायिक भवन व खमतराई में सीसी रोड का विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर ने की। विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य अमर अरुण चंद्राकर, जनपद पंचायत सदस्य अजय मंगल ध्रव, श्रीमती राशि महिलांग, दिग्विजय साहू, राधेश्याम ध्रुव, सरपंच ललित ध्रुव मौजूद थे। विधायक श्री चंद्राकर ने बताया कि खमतराई में सीसी रोड के लिए ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही थी। वहीं सिरपुर में सामुदायिक भवन की आवश्यकता जताई गई थी। दोनों मांगों को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृति दिलाई गई। इस अवसर पर थनवार यादव, जब्बर चंद्राकर, दिलीप जैन, केशव चौधरी, दीनदयाल साहू, गजाधर निषाद, गजानंद पटेल, चंदन ध्रुव, मेंबर निषाद, फिरंता यादव, तोषण कन्नौजे आदि मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि ग्रामीणों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। सड़क मार्ग निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे। जिसे गंभीरता से लेकर इसकी स्वीकृति दिलाई गई।

डबल फिडर से जोडऩे लिखा पत्र

विधायक श्री चंद्राकर ने शासकीय संस्थाओं को डबल फिडर से जोडऩे की आवश्यकता जताई है। इसके लिए उन्होंने छग राज्य विद्युत वितरण मंडल के कार्यपालन यंत्री को पत्र लिखा है। जिसमें जिला चिकित्सालय, बेलसोंडा स्थित जलावर्धन संयंत्र व त्रिमूर्ति कालोनी के एसटीआरईएन कार्यालय से त्रिमूर्ति कालोनी तक के क्षेत्र को डबल फिडर में जोडऩे कहा गया है।

न्यायालय नायब तहसीलदार आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ब/121, वर्ष 2019-20
आरंग दिनांक 02.06.2020
ग्राम देवरी प.ह. नं. 53

सर्वसाधारण को सूचित कि आवेदक अनुज कुमार साहू वगैरह पिता माखनलाल साहू जाति तेली निवासी ग्राम देवरी प.ह.नं. 53 रा.नि.मं. आरंग/ भैंसा स्थित खसरा नंबर 25/14 रकबा क्रमशः 0.200 हे. कुल ख.नं. 1 कुल रकबा 0.200 हे. भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है। जिसका मूल कृषि किसान किताब कहीं गुम होने पर आवेदक की खाद बीच एवं अन्य कृषि कार्य में असुविधा होने पर आवेदक द्वारा डुप्लीकेट किसान किताब की मांग किया गया है। आवेदन पत्र के साथ बी-1 खसरा एवं शपथ पत्र पेश किया गया है।

अतएव एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक के आवेदन पत्र पर जिस किसी व्यक्ति या बैंक संस्था को आपत्ति दावा हो तो दिनांक 16/06/20 को अपना आपत्ति दावा पेश कर सकते हैं, नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई सुनवाई एवं विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 2/06/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सीलमुद्रा से जारी किया गया।

सील

तहसीलदार
आरंग

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं दुरपति बाई पिता स्व. मोहन लाल साहू अपने वार्ड क्र. 11, मौजा लवन, तह. बलौदाबाजार जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा में स्थित दो मंजिला मकान जो कि लगभग 250 वर्गफीट भूमि पर निर्मित है, के संबंध में दिनांक 13.03.2018 को एक पंजीकृत वसीयतनामा अपने भतीजा ईश्वर प्रसाद पिता अवधराम साहू के नाम निष्पादित की थी। उक्त वसीयतनामा को आज दिनांक को निरस्त कर दी हूं। अब उक्त वसीयतनामा पूर्णतः प्रभाव शून्य हो चुका है तथा उसके आधार पर ईश्वर प्रसाद को उक्त संपत्ति पर कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

सो सूचना जाने।
भवदीय
(सतीशचंद्र श्रीवास्तव)
अधिवक्ता
बलौदाबाजार
मो. 94255-13470

MUNICIPAL COUNCIL, LAILUNGA
E-Procurement tender Notice (1st Call)

SYSTEM TENDER NO: NIT No. LAILUNGA dated 01.06.2020

Online bids in three envelop system are invited for the following cinstruction works/ up to date 22.06.2020 at 17.30 Hours

System Tender No.	Description (CGPWD BUILDING/ ROAD SOR 01.01.2015)	Cost of Tender (PAC) In Lacs
64720	CONSTRUCTION OF CC ORAD FROM HANUMAN MANDIR TO BHAGIRATHI PATEL GHAR AT LAILUNGA	Rs. 21.79
64721	CONSTRUCTION OF CC ORAD FROM BUDHIKETAN ANGAO GHAR TO DHIDHORI AAMA ROAD AT LAILUNGA	Rs. 44.10

The details can be downloaded online directly from the Goverment of Chhattisgarh e-Procurement Portal http://eproc. cgstate.gov.in From 01.06.2020 at 17:30 Hours (IST) onwards.

For more details on the tender and bidding process please visit the above mentioned portal.

CHIEF MUNICIPAL OFFICER
MUNICIPAL COUNCIL
LAILUNGA (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग,
कार्यालय मुख्य अभियंता
महानदी गोदावरी कछार, रायपुर (छ.ग.)
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eprocurement Portal :https://eproc.cgstate.gov.in
(द्वितीय आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्रमांक 64359/निविदा सूचना क्रमांक 05/व.ले.लि./2020-21 कसडोल, दिनांक 02.06.2020

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक21.06.2020 को **17:30** तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का नाम :- **बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखण्ड सिमगा की चंदेरी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहर के आर.डी. 0 से 4200 मी. तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य तथा 14 नग पक्के कार्यों का निर्माण एवं 15 नग आऊटलेट का निर्माण कार्य।**

अनुमानित लागत :- **रु. 202.63 लाख**

अन्य वितरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट http://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक **09.06.2020** को समय 17:31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल
कृते , मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

जी-81282/4

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
कार्यालय वन मंडलाधिकारी, बस्तर, वन मंडल, जगदलपुर
// निविदा स्थगित करने की सूचना //

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, बस्तर सामान्य वनमंडल जगदलपुर के सरगीपाल में दिनांक 04.06.2020 को शेष एवं नया स्क्रैप (Scrap) सामग्री (कम्प्यूटर उपकरण/ फर्नीचर तथा अन्य सामग्री) सामग्रियों का अपलेखन मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त/ बस्तर वनमण्डल/ सामाजिक वानिकी एवं वन विद्यालय जगदलपुर का नीलाम रखा गया था। जिसे अपरिहार्य कारणों से आगामी तिथि तक स्थगित की जाती है।

वनमंडलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

जी-81323/2

न्यूज गैलरी

कलेक्टर ने चिखली वार्ड में 19 लाख लीटर क्षमता के पानी टंकी का किया निरीक्षण

राजनांदगांव। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नगर निगम के चिखली वार्ड में पानी टंकी का निरीक्षण किया। साढ़े 19 लाख लीटर क्षमता के पानी टंकी का निर्माण अमृत मिशन योजना के तहत किया जा रहा है, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर श्री वर्मा ने पानी टंकी से पानी सप्लाई का कार्य शीघ्र ही आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेल्वे क्रासिंग क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, इंजीनियर दीपक जोशी एवं नगर निगम के अतुल चोपड़ा उपस्थित थे।

कलेक्टर ने किया सेनिटेशन पार्क का निरीक्षण

राजनांदगांव। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नवागांव बापूटोला स्थित सेनिटेशन पार्क का निरीक्षण किया। सेनिटेशन पार्क में नगर के सभी एसएलआरएम के कचरे को पृथक कर लाया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी गई। कलेक्टर ने कम्पोस्ट ग्राउंड का भी निरीक्षण किया, जहां कचरे को कम्पोस्ट किया जाता है और इन्सुलेशन यूनिट जहां पर मांस, मछली विनष्टिकरण करने के प्रोसेस की जानकारी ली। कलेक्टर ने एफएसटीपी (फिक्लस ट्रीटमेंट प्लांट) का भी अवलोकन किया। कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा कम्पोस्टिंग ग्राउंड में अत्यधिक कचरा एकत्र होने पर कचरा कम करने के निर्देश आयुक्त चंद्रकांत कौशिक को दिए। उन्होंने कहा कि जब डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है तो बाहर में अनावश्यक कचरा फेंकने से मना करें। इसके लिए लोगों को जागरूक करें। उन्होंने नवागांव में अमृत मिशन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन ओव्हर हेड टैंक का निरीक्षण कर इसकी पूर्णता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए इसे शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए। ताकि वार्डवासियों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर इंजीनियर दीपक जोशी एवं नगर निगम के अतुल चोपड़ा उपस्थित थे।

विष्णु देव साय के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने पर भाजपाइयों ने दी बधाई

दल्लीराजहरा । भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपडी प्रकोष्ठ जिला के जिलाध्यक्ष सुरेश जायसवाल ने बहुप्रतीक्षित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व ने आदिवासी नेता पर विश्वास जताते

हुए पूर्व केंद्रीय ने मंत्री विष्णु देव साय जी के नाम पर मोहर लगाई उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने पर भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपडा प्रकोष्ठ के लोगो ने एक-दूसरे को बधाई देते हुए साय जी को शुभकामनाएं प्रेषित किया है भाजपा झुग्गी झोपडी प्रकोष्ट के जिला महामंत्री हितेश कुमार ने बताया की उनके नेतृत्व से भाजपा आने विधानसभा से लेकर सभी चुनावों में सफलता हासिल करेगे जो की सभी को नई ऊर्जा व मार्ग दर्शक मिलेगा इन्ही शुभकामनाओ के साथ मंडल अध्यक्ष गोविन्द वाधवानी , पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश पान्डेय , सुदेश सिंह , सुरेश जायसवाल ,पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश पान्डेय , जयदीप गुप्ता , स्वाधीन जैन , विशाल मोटवानी , मनोज दुबे , बॉबी छतवाल , शीतल नायक , गीता मरकाम , सुचित्रा दास , मजीत कौर , काशिम कुरैशी , रमेश जैन , प्रवीण ऊके , अमित बाजरे , शब्बीर कुरैशी व भाजपा कार्यकर्ताने बधाई दी द्य

लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दो व्यपारियों से वसूला जुर्माना

गंडई पंडरिया। नावेल कोरोना वायरस के इस देशव्यापी महामारी को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा नियंत्रण एवं बचाव के लिए तरह तरह के पैतरे अपनाये जा रहे है। इसी कड़ी में जिला कार्यालय के आदेश पर कल गुरुवार को नगरीय क्षेत्र में पूर्ण लॉक डाउन प्रभावशील था। जिसमे नगर पूर्णरूप से बंद था यहाँ तक सब्जी फल और किराने की दुकान बंद रहा। अतिआवश्यक सेवाओं में गैस एजेंसीय पेट्रोल पम्प दवाई दुकान संचालित था। गुरुवार बंद को लेकर एक दिन पूर्व मुनादी भी नगर पंचायत ने करा दी थी। इसके बावजूद नगर के पंडरिया रोड स्थित उमेश जैन के सोसायटी वस्त्रालय सुबह दुकान खुली पाए जाने पर 500/रुपये और वार्ड क्रमांक 10 हीरालाल पटेल के किराना दुकान भी खुले पाए जाने पर 100/रुपये लॉक डाउन उल्लंघन दंड शुल्क लिया गया। निरीक्षण दौरे में राजस्व निरीक्षण छेदी लाल पटेल, शिव सिंह ठाकुर, शत्रुहन मारकंडे, रामजी पटेल, सहित कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक घंटा जमकर बरसे बादल, उमस-गर्मी से मिली राहत

खरोरा। मानसून के पहले अंचल में हवा हुआ तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश हुई अचानक हुई जोरदार बारिश से बरसात के दिनों का एहसास रहा था । सुबह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा था। मौसम का यह बदलाव दोपहर बारिश में तब्दील हो गई वही नगर सहित आसपास के गांव में बुधवार को दोपहर 12:00 बजे चमक के साथ एक घंटा जोरदार बारिश हुई उमस और गर्मी से फिलहाल लोगों को निजात मिली। बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे यह बरसात किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि किसान खुर्रा जुताई कर चुके हैं ,उनके खेतों में इस बारिश से खरपतवार पैदा होगा और दस दिनों के बाद धूप निकलने पर जब किसान दोबारा जुताई करेगा तो खरपतवार खत्म हो जाएगा। इसके कारण धान की फसल लेने वाले किसानों को खरपतवार की चिंता नहीं सताएगी।

कबीरधाम जिले के 16 नई नल-जल योजना को मंजूरी

■ **जिले के ग्रामों मे बना जल संकट, नलजल योजना से समस्या का करेंगें निराकरण**

कवर्धा। राज्य शासन द्वारा कबीरधाम जिले के 468 पंचायत के 964 गांवों और उनके 2464 बसाहटो में तथा जिले के सभी छः नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वन परिवहन तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर की अनुशंसा पर जिले के कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के जलसंकट ग्रस्त ग्राम पंचायतों में 16 नए नलजल योजना की मंजूरी दी गई है। 14 और नए नल जल योजना मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। 16 नल-जल योजना मूर्त लेने के बाद ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की निरंतर आपूर्ति हो सकेगी। जिले के कवर्धा, पंडरिया, बोडला और सहसपुर लोहारा के कुल 468 पंचायत के 964 गांवों और उनके 2464 बसाहटो में 11 हजार 817 हैण्डपंप स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रां मे नियमित रूप से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

नलजल योजना, 193 स्थल जल प्रदाय योजना से मिल रहा पानी

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कबीरधाम जिले अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो मे 145 नलजल योजना, 193 स्थल जल प्रदाय योजना, तथा विद्युत विहीन, ग्रामों में 281 सोलर पंप एवं चरम वामपंथ प्रभावित क्षेत्रो में 61 सेनेटरी वेल के माध्यम से ग्रामीणां को सतत् एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही 53 नग नलजल प्रदाय योजना, 9 आवर्धन योजना, 07 स्थल जल प्रदाय योजना, 13 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना वर्तमान में का काम चल रहा है, जिसे भी जल्द से जल्द तैयार कर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2024 तक हर घर नल

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता सुनिल शुक्ला ने बताया कि भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशानुसार ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए हर घर नल, हर घर जल प्रदाय के लिए जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाना है। इसके लिए लागत 51447 लाख रूपए का कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही संपादित कराई जाएगी।

ठाढापुर-दशरंगपुर-इंदौरी समूह जल प्रदाय योजना

कबीरधाम जिले के मध्यम सुतियापाट जलाशय पेयजल स्त्रोत पर आधारित ठाढापुर-दशरंगपुर- इंदौरी, 23 ग्रामों और 2 नगर पंचायत में पेयजल एवं निस्तारी समूह जल प्रदाय योजना विकासखंड कवर्धा एवं सहसपुर.लोहारा के अंतर्गत भू-जल स्तर से प्रभावित कुल 23 ग्राम आते है। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या को देखते हुए सहसपुर लोहारा विकासखण्ड के सुतियापाट जलाशय से ग्रेवटी एण्ड पम्पिंग आधारित समूह (23 ग्राम) जल प्रदाय योजना तैयार किया गया है। उक्त योजना की लागत राशि 7357.92 करोड रूपए प्रस्तावित की गई है जिसकी स्वीकृति जल्द से जल्द प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

अकबर के अनुशंसा से 16 नए नलजल योजना को मिली मंजूरीः वन, परिवहन तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए वनमंत्री एवं कवर्धा विधायक की अनुशंसा से पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामो के लिए 30 नल जल योजना तैयार कर प्रेषित की गई है।

पैलेस परिसर में निकला अजगर, वन विभाग के रेस्क्यू टीम ने पकड़ा

कवर्धा। राजमहल में एक बार फिर से अजगर सांप निकलने की खबर मिली है। वहीं राजमहल में अनेक प्रकार के वृक्ष भी लगे हुए हैं। बांस के वृक्ष से यह अजगर लिपटा हुआ था। अजगर को देखते ही इसकी जानकारी वन विभाग कवर्धा को दी गई। विभाग ने रेस्क्यू टीम भेजकर सुरक्षित रूप से अजगर को पकडा और वनो की ओर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोडा गया। ज्ञात हो कि गुरूवार को सुबह 9:00 बजे योगेष्वर राज सिंह के यहां से उनके राजमहल में अजगर निकल आने की खबर विभाग को प्राप्त होने के पश्चात तत्काल अंकित पांडे, परिक्षेत्र अधिकारी कवर्धा को सूचित किया गया, जिसको त्वरित संज्ञान लेते हुए अंकित पांडे द्वारा राजमहल रेस्क्यू टीम रवाना की गई। रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक अजगर को बिना कोई क्षति पहुंचाए सुरक्षित पकड़ लिया। वन विभाग द्वारा इस रेस्क्यू किए गए अजगर को वन क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। वन मंडल अधिकारी जिला कबीरधाम दिलराज प्रभाकर द्वारा आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि मानसून में बारिश के चलते विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु सुरक्षित आश्रय की तलाश में सूखी जगह जैसे, स्टोर, खाली पड़े घर, गोदाम शासकीय कार्यालयों या आवासीय परिसर और मकानों में घुस जाते हैं। इन समस्त स्थलों पर या असुरक्षित जगहों पर, यदि वन क्षेत्र से भटक कर आए किसी भी वन्य प्राणी की जानकारी प्राप्त होती है, तो तत्काल स्थानीय पुलिस थाना, स्थानीय वन कार्यालय या वन मंडल कार्यालय कवर्धा में सूचना देने का कष्ट करें, ताकि जान माल की क्षति को तो रोका जा ही सकेगा, साथ ही वन्य प्राणी को भी सुरक्षित बचा कर पुनः वन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत वापस छोड़ा जा सके।

बोर खनन प्रतिबंध हटाने हेतु सभापति राहुल टिकरिहा ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

बेमेतरा/साजा। अंकुर समाज सेवी संस्था के प्रदेश संयोजक एवं जिला पंचायत बेमेतरा सभापति राहुल योगराज टिकरिहा ने जिला कलेक्टर बेमेतरा को बोर खनन के लिए अनुमति दिलाने के नाम पर दलालों के माध्यम से किसानों से हो रहे अवैध वसूली के संबंध में अवगत कराते हुए ज्ञापन सौपा और जिले में तत्काल प्रतिबन्ध हटाने की मांग की। जिससे किसानों को राहत प्रदान किया जा सके।

जिला पंचायत सभापति राहुल योगराज टिकरिहा ने बताया कि वर्तमान समय में बेमेतरा जिला के किसान भाई-बहनें पानी की सुलभता के लिए अपने घर, बाड़ी और खेत में बोर खनन का कार्य करवा रहें है। बोर खनन के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के नाम से अनेक दलाल, बिचौलिए द्वारा अधिकारीयों से किसानों से पैसे लेकर अनुमति दिलाने की बात कहकर पैसा ले रहे है। पैसे लेने के बाद भी किसी प्रकार की अनुमति प्रशासन से नहीं ली जा रही है। अनुमति लेने के लिए दलाल द्वारा 5 से 10 हजार रुपये साथ ही केंसिंगो और खुदाई के दरों में भी वृद्धि कर दी गई है। जिससे किसान भाइयों को 15 से 20 हजार रुपये की अतिरिक्त भार पड़ रही है।

बारिश सीजन के दौरान जिले में व्यापक पैमाने पर होगा वृक्षारोपण

बेमेतरा/साजा। छ.ग. शासन की मंशानुरूप राज्य में व्यापक पैमाने पर आगामी माह से वृक्षारोपण का मुहिम चलाया जाना है, इस हेतु बेमेतरा जिले में भी आवश्यक तैयारियां की जानी है। वृक्षारोपण की तैयारी हेतु बैठक दिनांक 08 जून 2020 को प्रातः 11 बजे कलेक्टोरेट बेमेतरा के दृष्टिसभा कक्ष में आयोजित है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि वृक्षारोपण की योजना पर दो तरह से कार्य करना होगा, जिसमें 01 भाग महत्वपूर्ण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गो, स्टेट हाईवे के दोनों किनारों पर पौधारोपण किया जाये। इन पौधों में बरगद व पीपल के वृक्ष लगायें जाये। सामूहिक फार्मिंग के तहत मुनगा, नीबू, आँवला, करौंदा इत्यादि पौधे लगाये जावेंगे। इसके लिए जिला मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बड़े-बड़े पैचेस में 5 एकड़ व उससे अधिक भूमि का चिन्हांकन कर सभी अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 08 जून 2020 तक अपना प्रस्ताव नक्शा खसरा सहित देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे के दोनों किरानों पर कितने वृक्ष बेमेतरा जिले की सीमा के अंतर्गत कराये जा सकते है, इसकी जानकारी कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग व (एनएचएआई) NHAI देंगे। लगाये गये पौधों की सुरक्षा हेतु (थ्री गार्ड) TREE GUARD की सप्लाई हेतु स्वयं सहायता समूहों का चयन वनमण्डलाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा के द्वारा किया जावेगा एवं नियत दिनांक 08 जून 2020 तक अपना प्रस्ताव देंगे।

5 नए मरीज की पुष्टि के बाद कुल 63 मरीज कोरोना संक्रमित

भाटापारा। जिले में कोरोना संकमितो की संख्या 60 से ऊपर हो गई है। कल मध्य रात्रि पलारी विकासखण्ड के ग्राम कोनारी में 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। साथ ही आज सुबह 11 बजें तक जिला में कोरोना वायरस से संक्रमित और 4 नये मरीज़ों की पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से कर दी गयी है। जिला प्रसासन के द्वारा आज जो 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजो की पुष्टि की गई है उनमे ग्राम खैन्दा -1, ग्राम धाराशिव-1,ग्राम बम्हणपुरी- 2 इसमें 3 मरीज क्वारेन्टीन सेंटर में एवं 1 मरीज़ घर पर थे। नये संक्रमित क्षेत्र खैन्दा एवं बम्हणपुरी को कंटेन्टमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सभी मरीजों को रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी किया जा रहा हैं। अब जिला में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 63 हो गयी है। जिसमें से एक्टिव मरीज की संख्या 55 है। साथ ही 8 मरीज़ बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ्य होकर वापस लौट गए है।

दिनेश तिवारी ने की ब्लाक अध्यक्ष की दावेदारी

भाटापारा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक पद की दौड़ में निपनिया क्षेत्र के दिनेश तिवारी ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तत की है। उनकी दावेदारी से ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओ में खुशी की लहर है।विदित हो की दिनेश तिवारी कांग्रेस के ईमानदार और साफ सुथरी छबि वाले नेता है और उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव भी विधायक परिवार के खिलाफ लड़ा थाौकांग्रेस के लोगो ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से ब्लाक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का अध्यक्ष दिनेश तिवारी को बनाने की पुर जोर मांग की है।

नाबलिका को शादी का प्रलोभन देकर अनाचार का आरोपी पकड़ाया

भाटापारा। लगभग 8 माह पूर्व घर से गायब हुई नाबलिका को सुहेला पुलिस ने खोज निकालते हुए उसको भगाकर लेजाने और उसके साथ अनाचार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायलय के निर्देश पर जेल भेज आगे की कार्यवाही कर रही है। उपरोक्त सम्बन्ध में जानकारी देते हुए सुहेला थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत ने बताया की 8 नवम्बर 2019 को थाना में प्रार्थिया ने शिकायत कराई की कि इसकी नाबालिग लड़की दिनांक 04.11.2019 के रात्रि घर से बिना बताए कही चली गई है जो वापस नही आयी है जिसे गांव, एवं आस पास रिस्तेदारों में पता तलाश करने पर भी कोई पता नही चल रहा है ।इस रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम किया गया वही गुमशुदा नाबालिग होने से धारा 363 भा द वि पंजीबद्ध कर व्यपहृता एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश में जूट गई। पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर मुखबिर लगाकर पतासाजी किया जा रहा था की तभी मुखबिर से ज्ञात हुआ कि व्यपहृता को संदेही आरोपी परदेशी यादव लाकडाउन के कारण नागपुर से वापस आकर अपने ग्राम रावन के शासकीय स्कूल में कोरेंटाइन अवधि पूर्ण कर व्यपहृता को अपने घर ले जाकर रखा है ।इस बात की जानकारी वरिस्ठ अधिकारीयो को देने के बाद ग्राम रावन में आरोपी के कब्जे से व्यपहृता को दिनाँक को बरामद कर संदेही को अभिरक्षा में लिया गया , व्यपहृता ने अपने कथन में आरोपी द्वारा नाबालिग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की आदिवासी लड़की होना जानते हुए प्रेम एवं शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर नागपुर ले जाकर अपने साथ पत्नी की तरह रखकर लगातार शारिरिक सम्बंध बनाया।

निधन

टोमेश्वर साहू

भाटापारा। स्थानीय सुभाष वार्ड निवासी बबलू साहू के सुपुत्र टोमेस्वर साहू 20 वर्ष का इलाज के दौरान निधन हो गया। वह कुछ से बीमार थे। वह नानु साहू पेपर वितरक के बड़े भाई थे।उनका अंतिम संस्कार रावण भाठा मुक्तिधाम में किया गया,जिसमे काफी संख्या में लोग शामिल हुए।

कम चले सिंचाई पंप, उद्योगों ने भी घटाई जल दोहन की मात्रा

जिले का वाटर लेवल 12 से 15 मीटर के आसपास

भाटापारा। पानी प्रबंधन को लेकर किसानों में बढ़ी जागरूकता। सिंचाई पंपों का सीमित उपयोग। उद्योगों में काम के घंटे का कम होना और समय रहते गंगरेल बांध के पानी से निस्तारी तालाबों को भरे जाने के काम के बाद जिले का एवरेज वाटर लेवल 12 से 15 मीटर के आसपास आकर ठहरा हुआ है। संकट जैसी कोई बात नहीं है तो नए बोर उत्खनन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

रबी सत्र में इस बार किसानों ने ऐसी फसलों का चयन किया जिसे पानी की कम जरूरत होती है। धान की खेती हमेशा की तरह इस बार भी रबी में शीर्ष पर रही लेकिन इसमें भी शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों को किसानों ने चुना। सब्जी की फसलों में भी पानी प्रबंधन को लेकर जो जागरूकता दिखाई उसके बाद सिंचाई पंपों का देर तक चलने का समय घटकर आधा पर आ गया। कोरोना काल में उद्योगों में काम के घंटे कम होने की वजह से भी जल दोहन की मात्रा सीमित रही। सबसे बड़ी मदद गंगरेल बांध प्रबंधन ने दी। जिसने समय रहते बांध के गेट खोले और निस्तारी तालाबों को भरने में पूरा साथ दिया। परिणाम जिले का एवरेज वाटर लेवल 12 से 15 मीटर के आसपास रहने के रूप में सामने है। याने जल संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। वैसे भी इस बार जिले के किसी भी गांव से जल संकट या हैंडपंप सूखने की जानकारी नहीं मिली है। इसके बावजूद पी एच ई का जिला मुख्यालय सतर्क है और फील्ड स्टाफको अलर्ट रहने का निर्देश दे चुका है।

गंगरेल ने भी की मदद

इस बार अप्रैल माह में ही रबी फसल के लिए पानी की उठी मांग के बाद गंगरेल बांध से छोड़ा गया पानी खेतों तक पहुंचाया गया तो निस्तारी तालाबों को भी भरने का काम साथ में किया गया। यह फैसला सही साबित हुआ क्योंकि निस्तारी तालाबों को भरे जाने के बाद भूजल स्तर बढा और किसी भी गांव से हैंडपंप के सूखने की खबर नहीं आई। विभाग इन सभी स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं साथ ही मैदानी अमलों से हर गांव की रिपोर्ट मंगाई जा रही है ताकि संकट की स्थिति के पहले ही जरूरी उपाय किए जा सके।

> इस बार सिंचाई पंपों के चलने की अवधि काफी कम रही। उद्योगों में भी जल दोहन अपेक्षाकृत नियंत्रित रहा। इससे जिले का एवरेज वाटर लेवल 12 से 15 मीटर के आसपास है।
>
> **- एस एस मरकाम, ई ई, पीएचई बलोदा बाजार**

डबरी तालाब सफाई की मांग को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

नवप्रदेश संवाददाता

खरोरा। नगर के डबरी तालाब के अस्तित्व को बचाने व सफाई को लेकर वार्डवासियों कि उपस्थित मे काग्रेंस पार्षद ने पूर्व राज्य मंत्री तिलक राम देवागंन के नेतृत्व मे आंदोलन की चेतावनी देते मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौपा।

प्रदेश सरकार देख रेख व साफसफाई के अभाव मे विलुप्त हो रहे जलाशय को संरक्षित करने के लिये विभिन्न योजनाओं पर काम करने बात करती है परन्तु खरोरा नगर की जलाशयों मे नगर के हदृय स्थल मे स्थित प्रमुख जलाशय डबरी तलाब की दुर्दशा सरकार की उन योजनाओं की पोल खोलती नजर आ रही प्रशासन की अन देखी से नगर की पुरातन धरोहर अपना अस्तित्व खोने की स्थिति मे है डबरी तलाब एक समय वार्ड 09वार्ड 10 के रहवासियों के निस्तारी का प्रमुख जरिया हुआ करता था मगर साफ सफाई व अन्य समुचित देख रेख

अभाव मे पुरे तालाब मे जल कुंभी ने कब्जा जमा रखा है संक्रमण जनक किडे मकोड़े तथा गंदगी से बजबजाती तालाब का पानी गाढा व काला हो चुका है तालाब से उठती असहनीय दुगंध से वार्ड वासीयों का जीना दुसवार हो चला है वहीं घातक बिमारियां पीलिया , मलेरिया , फ्लेरिया, डेंगू का शिकार न यह भय भी वार्ड वासीयों को सता रहा है उल्लेखनीय है की इस गंभीर विषय पर शासन प्रशासन से विगत पांच वर्षो से पूर्व पार्षद श्रीमती इन्दु कुंभकार व वर्तमान पार्षद भरत कुंभकार व वार्ड वासी सहित जलाशय बचाओ समिति के सदस्य गण विधायक , सांसद , मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन के जवाब दार अधिकारी यो को लिखित आवेदन व मौखिक आग्रह लगातार करते आ रहे हैं सरकार बदलने के बाद डबरी तलाब के उद्धार को लेकर आवदेन , निवेदन का सिलसिला अब तक जारी है पांच वर्ष की लम्बे संघर्ष के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होने से अब वार्ड पार्षद व वार्ड वासीयों का संयम अब टूट चुका है तथा जिलाधिकारी रायपुर के नाम एक ज्ञापन खरोरा तहसील दार सरिता मढरिया को सौंप कर सात दिवस के अन्दर समस्या के निराकरण की मांग करते हुये निराकरण नहीं किये दशा मे आमरण अनशन करने की खुली चेतावनी दी गई है।

लॉकडाउन के बीच रोजमर्रा की चीजें हुईं सस्ती

भाटापारा। कोरोना संकट के बीच आम लोगों के लिए राहत की खबर है. चावल, आटा, दालें, आलू, प्याज की कीमतों में कमी देखने को मिली है. इस साल फसलों का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है तो दूसरी तरफ मांग में भी कमी देखने को मिल रही है.

कोरोना महामारी के बीच आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिली है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान की कीमतें घट गई हैं. मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक, पिछले 1 महीने में जरूरी कमोडिटी जैसे चावल, आटा, दालें, आलू, प्याज की कीमतों में कमी देखने को मिली है. इस साल फसलों का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है तो दूसरी तरफ मांग में भी कमी देखने को मिल रही है. कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय प्राइस मॉनिटरिंग सेल के आंकड़ों के मुताबिक 114 रुपये प्रति किलो मिलने वाली उड़द दाल की कीमत 108 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है. वहीं मूंग दाल की कीमतों में पिछले 1 महीनों में 5 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है. 31 रुपये प्रति किलो मिलने वाले टमाटर की कीमतों में भी 12 रुपये की गिरावट देखने को मिली है.सस्ती हुई सब्जियां, दाल, चाव और आटा- कोरोना संकट के दौरान खाने पीने की जरूरी वस्तुओं के दामों में गिरावट जारी है. कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय प्राइस मॉनिटरिंग सेल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 महीने में कीमतों में गिरावट देखने को मिली है.आटा, दाल, चावल , खाने के तेल, आलू- प्याज, टमाटर सस्ते हुए है. 29 रुपये प्रति किलो वाले चावल के कीमत 1 महीने में 2 रुपये घटकर 27 रुपये प्रति किलो हो गई है जबकि 28 रुपये प्रति किलो आटे की कीमत 1 महीने में घटकर 27 रुपये पर आ गई है. वहीं, 86 रुपये प्रति किलो चने की दाल की कीमत 1 महीने में घटकर 76 रुपये पर आ गई है. इसके अलावा 106 रुपये प्रति किलो के भाव पर मिलने वाले अरहर की दाल की कीमत 1 महीने में घटकर 101 रूपये प्रति किलो पर आ गई है

क्यों हुई सस्ती- खाने-पीने की चीजों में देखी जा रही गिरावट की वजह यह है कि इस साल फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है. कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था में आई मंदी के चलते मांग में कमी देखने को मिली है।

सर्पदंश के मृतकों को संघ ने दी श्रद्धांजलि

■ **दशगात्र कार्यक्रम के लिए सामाग्री कराया उपलब्ध**

कवर्धा। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति षासकीय सेवक विकास संघ के प्रतिनिधि मंडल जिला संरक्षक सुधीर सिंह सोम सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर, पी.एल. ध्रुव, आसकरण सिंह धुर्वे जिलाध्यक्ष के मार्गदर्षन एवं अंजोर सिंह सिदार जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में गुरूवार को ग्राम मुनमुना विकास खंड पंडरिया विगत दिवस धटित हृदय विदारक घटना सर्पदंष से एक ही परिवार के तीन लोग समय लाल धुर्वे, गंगिया बाई धुर्वे एवं पुत्र संदीप धुर्वे की मृत्यु हो गई, जिससे समाज को क्षति पहुंचा है। साथ ही दो नन्हें दुधमुंहे बालक के सिर से माता पिता का साया उठ जाने से सामाजिक क्षति हुई है। जो कि चिंतनीय विषय है।

ऐसी हृदय विदारक की घड़ी में संगठन ने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए षोकाकुल परिवार के गृह ग्राम पहुंचकर षोकाकुल परिवार को ढाढस बंधाया साथ ही संगठन के द्वारा दषगात्र कार्य के लिए आवष्यक सामग्री - चांवल, दाल, आलू, आटा, तेल, किराना सामान, हरी सब्जी आदि सहयोग के रूप में उपलब्ध कराया गया। सामाग्री उपलब्ध कराने में समाज के अंजोर सिंह सिदार, प्रो. षिवराम ष्याम, छेदी ध्रुव, सिद्धराम मंडावी, जनक तिलगाम, ईष्वरसिंह परस्ते, परमेष्वर सिंह सिदार, उत्तम सिंह पोर्ते, गेंदू सिंह मरावी, सतन सिंह मरावी का सहयोग रहा।

वनांचल क्षेत्र में घट रही सर्पदंष से मृत्यु जैसे मामलों का पता करने परज्ञात हुआ है कि अभी भी हमें समाज को अधिक जागरूक करने की जरूरत है, लोग जमीन पर न सोयें।

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मुहैया कराई जाएंगी चिकित्सा सुविधाएं

■ **निगम में हुई बैठक**

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र मे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम सभागार में नोडल अधिकारी तरुण पाल लहरें ने बैठक ली! मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) जारी किया जा चुका है! इस योजना के तहत निगम क्षेत्र के नागरिकों को उनकी बस्ती, मोहल्ले, पारा में ही चिकित्सा की उन्नत सेवा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से मिल पाएगी! निवास के समीप ही सुविधा प्राप्त होने के कारण स्लम क्षेत्र के नागरिक इसका सहज ही लाभ प्राप्त कर पाएंगे साथ ही उन्हें अपने कार्यों से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी एवं बच्चों की पढ़ाई भी निरंतर चल सकेगी! यह सेवा बिल्कुल निशुल्क होगी!

मोबाइल मेडिकल यूनिट से होगा परीक्षण इस योजना के अंतर्गत चलित वाहन जिसमें चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध होंगे के साथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्लम क्षेत्र में निर्धारित स्थल जो कि सामान्यतः सांस्कृतिक भवन/ सांस्कृतिक चबूतरा/ वार्ड कार्यालय/ निकाय के अन्य भवन के पास पहुंचेंगे जहां पर रोगियों के बैठने, पेयजल तथा अन्य अनुषांगिक सुविधाएं निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी! चिकित्सक द्वारा बारी-बारी से रोगियों का परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां प्रदान की जाएगी! इसके अतिरिक्त पैथोलॉजी लैब की सुविधा भी मोबाइल मेडिकल यूनिट में उपलब्ध होंगी! चिकित्सा, दवाईयां तथा पैथोलॉजी टेस्ट की सुविधा नागरिकों को निशुल्क प्रदान की जाएगी! मोबाइल मेडिकल यूनिट में अनुपलब्ध परीक्षण की सुविधाएं समीपस्थ शासकीय चिकित्सालय से प्राप्त की जा सकेगी!

प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के माध्यम से होगा एजेंसी का चयन अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी के द्वारा निगम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से एजेंसी नियुक्त किया जाएगा जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा चुका है भिलाई क्षेत्र में जिसकी अंतिम तिथि 15 जून नियत की गई है तथा 8 जून को प्री बीट मीटिंग निगम सभागार में रखा गया है जहां पर कोई भी एजेंसी या इस कार्य में रूचि लेने वाले विस्तृत जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, इनके प्रश्नों का निराकरण भी इस दिन किया जाएगा! कार्य लेने वाले एजेंसी के द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट चालक एवं इंधन सहित, मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला चिकित्सा मित्र तथा पैथोलॉजी लैब सहायक उपलब्ध कराए जाएंगे!

भिलाई के लिए तीन मोबाइल मेडिकल यूनिट की होगी व्यवस्था सहायक नोडल अधिकारी बीके देवांगन ने बताया कि भिलाई क्षेत्र के लिए 3 मेडिकल मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जानी है, अभी केवल एक मेडिकल मोबाइल यूनिट के लिए दर मंगाया गया है जिसके आधार पर बाकी का दर तय किया जाएगा! प्रत्येक मेडिकल मोबाइल यूनिट में मानिटरिंग हेतु सीसीटीवी तथा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु टीवी, प्रोजेक्टर, मुनादी हेतु साउंड सिस्टम आदि की व्यवस्था होगी! मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु समस्त आनुषांगिक अधिनियम, नियमों तथा पंजीयन आदि समस्त आवश्यक कार्य जैसे नर्सिंग होम एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा! मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से होने वाले परीक्षण के उपरांत इसका रिपोर्ट भी दिया जाएगा तथा इसके लिए दिन एवं समय भी निर्धारित किया गया है!

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को लेकर सभागार में हुई बैठक निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर भिलाई क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर सभागार में बैठक हुई जिसमें नोडल अधिकारी तरुण पाल लहरें ने विस्तृत जानकारी प्रदान की!

कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना सम्बंधित निरीक्षण जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया

कुम्हारी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने बजट में कुम्हारी के लिए शासकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी है, जिसके स्थापना हेतु डॉ सुशील चन्द्र तिवारी (उच्च शिक्षा, दुर्ग) के आदेश पर डॉ सी एल देवांगन (कुलसचिव विश्वविद्यालय दुर्ग), प्राचार्य (अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, दुर्ग), प्राचार्य (शासकीय स्नातक महाविद्यालय, उतई) सहित अन्य अधिकारियों के साथ में नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर , उपाध्यक्ष के रवि कुमार , मनहरण यादव (लोक निर्माण प्रभारी), जानकी ध्रुव (जल प्रभारी), प्रमोद सिंह राजपूत (पार्षद वार्ड नं 08), सती यादव (पार्षद वार्ड नं 12) लेखराम साहू, निलिश देवांगन उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा स्थापना सम्बंधित सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

जिन्हें चाचा ने बहरुपिया

पंचायत ने उनके कामों के महत्व को देखते हुए उन्हें पांच एकड़ जमीन भी दी है। इस भूमि पर व अन्य जगह मिलाकर वे वे लाखों की संख्या में पेड़ लगा चुके हैं।

कुछ करने के लिए पागल बनना ही पड़ता है :

गेंदलाल ने अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में नवप्रदेश को बताया कि उनका काम उनके चाचा को पसंद नहीं थी। चाचा उन्हें बहरूपिया व पागल तक कहने लगे। आखिर में चाचा ने गेंदलाल को अकेला छोड़ दिया। पर बकौल गेंदलाल, समाज के लिए कोई भी अच्छी चीज करनी है तो पागल बनना ही पड़ता है। गेंदलाल ने अपना मनोबल टूटने नहीं दिया और लगे रहे प्रकृति प्रेम व पर्यावरण संरक्षण की अपनी साधना में।

सरकार से आधिकारिक तौर पर नहीं मिला पुरस्कार :

गेंदलाल से यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें सरकार ने अब तक किसी पुरस्कार से सम्मानित किया है? उन्होंने नहीं का जवाब दिया। हालांकि ये भी बताया कि निजी संस्थाओं से उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार वे निर्माण कार्यों के दौरान काटे गए पेड़ों को लेकर कोर्ट भी गए वहां जीते भी। वसूली गई जुर्माने की राशि से फायदा सरकार को हुआ।

सबसे बड़ा धर्म पेड़ लगानाः

पर्यावरण दिवस पर लोगों को दिए अपने संदेश में गेंदलाल ने कहा कि पेड़ लगाना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि जैसा कि रामायण में वर्णित है- दूसरों के हित के जैसा कोई धर्म नहीं है, उसी प्रकार जनहित के लिए पेड़ लगाना सबसे बड़ा धर्म है।

... तो जमीन वापसी की...

से कोड़िया तक सड़क किनारे भी उन्होंने 300 से ज्यादा पेड़ लगाए।

प्लेन में बैठकर...

उठाया था।

पहली बार पहुंची श्रमिक स्पेशल फ्लाइटः एयरपोर्ट डायरेक्टर राकेश आर सहाय के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई श्रमिक स्पेशल फ्लाइट रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंची है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु से कुल 179 मजदूर रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मजदूरों के गृह जिले जाने की और स्क्रीनिंग की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बेंगलुरु से ही मजदूरों को लेकर एक और फ्लाइट कल 5 जून को दोपहर 12.50 बजे पहुंचेगी। सहाय के मुताबिक एयरलाइंस कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 100 मजदूर कल आने वाली फ्लाइट से रायपुर पहुंचेंगे।

कोरोना से बचाव के लिए...

ही ड्यूटी न लगी हो। जिला स्तर पर उपलब्ध राजपत्रित अधिकारियों में से प्रभारी अधिकारी की ड्यूटी लगाए। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है उनकी कार्यकुशलता का आंकलन कोरोना नियंत्रण में किए गए कार्यों से होगा। उन्होंने दिए गए निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता से पालन सुनिश्चित करने और की गई कार्रवाई से उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवगत कराने को कहा है।

निसर्ग से असर से...

से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने राहत आयुक्त को किया सूचित

मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के राहत आयुक्त को भी इस संबंध में सूचित कर दिया है। ज्ञात हो कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के देश में दस्तक देने के साथ ही प्रदेश में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष द.-पश्चिम मानसून ने अपनी नीयत तिथि 1 जून को ही केरल तट पर दस्तक दे दी थी। इसके बाद निसर्ग तूफान के चलते महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ गया।

नाले में बाढ़...

पर भी पड़ा। इसके फलस्वरूप जहां राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में तेज बरसात हुई वहीं गरियाबंद जिले का छुरा इलाका भी इससे अछूता नहीं रहा। इस विकासखंड के ग्राम कुंडेरादादर के नजदीक बरसाती नाले में आई बाढ़ की वजह से 50 बोरा तेंदूपत्ता बह जाने की जानकारी मिली है।

छगः 36 घंटे में...

आए हैं। और अब गुरुवार को रात 8 बजे तक की स्थिति में 44 नए मरीज सामने आए हैं। इस तरह करीब 36 घंटे में 130 मरीज मिले हैं।

स्वाध्यायी छात्रों ने की जनरल प्रमोशन की मांग

कवर्धा। कोविड - 19 महामारी की समस्या को देखते हुए उच्च षिक्षा विभाग में प्रथम एवं द्वितिय वर्ष के नियमित छात्रों को जनरल प्रमोषन देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है। परन्तु इसमें स्वाध्यायी (प्रायवेट) छात्रों को षामिल नहीं किया गया है। जिससे विद्यार्थी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। स्वाध्यायी छात्र अमन षर्मा ने बताया कि षासन के इस फैसले से स्वाध्यायी (प्रायवेट) के छात्रो में नाराजगी है और वो षासन से जनरल प्रमोषन की मांग कर रहे हैं, अन्यथा स्वाध्यायी (प्रायवेट) छात्रों के द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।

कबीरधाम जिले के ग्राम मोहभट्ठा कंटेन्मेंट जोन घोषित

कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के विकासखण्ड सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम मोहभट्ठा से एक संभावित मरीजों की कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद ग्राम मोहभट्ठा क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया है। कंटेन्मेंट जोन के लिए प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार विभिन्न गतिविधियॉ निर्धारित हैं, जिसके तहत चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। कंटेन्मेट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

वार्ड 35 में बनेगी 2 किलोमीटर नाली, महापौर ने मोहल्ले में पहुंचकर की कार्य की शुरुआत

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 35 में 2 किलोमीटर पक्की नाली बनाया जाएगा जिसके लिए आज महापौर एवं विधायक भिलाईनगर श्री देवेन्द्र यादव ने स्थानीय पार्षद कृष्णा वेणी काली प्रसाद एवं वार्ड के कुछ वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में कार्य की शुरुआत की। 48 लाख की लागत से होने वाले निर्माण कार्य से क्षेत्र के नागरिकों को सहूलियत मिल सकेगी। वार्ड 35 में लंबे समय से पक्की नाली बनाने के लिए स्थानीय नागरिक व पार्षद मांग कर रहे थे जिसे महापौर श्री यादव के द्वारा पूरा कराए जाने के बाद वार्डवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए महापौर व निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया! महापौर देवेन्द्र यादव ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाली निर्माण का कार्य तय कार्यअवधि में पूर्ण किया जाए ताकि वार्ड 35 के नागरिकों को सुविधा मिल सके और जल का प्रवाह निरंतर बना रहे। 2 किलोमीटर तक पक्की नाली बनने से क्षेत्र में बारिश का पानी तथा घरों से निकलने वाले निस्तारी के पानी की निकासी पहले और बेहतर हो जाएगी! भिलाई निगम के जोन कं. 04 अंतर्गत वार्ड 35 में पक्की नाली बनाया जाएगा। कार्य की स्वीकृति होने बाद 48 लाख की लागत से निर्माण होने वाली नाली की लंबाई 2 किलोमीटर होगी जो वार्ड के उड़िया बस्ती, बालकनाथ मंदिर, कॉपरेटिव लाइन से केनाल रोड होते हुए बड़े नाले में मिलेगी।

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन
प्रक्षेत्र-4, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone4@gmail.com

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा शंकर नगर सरहद, रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत निर्मित एलआईजी फ्लैट क्रमांक-80, ब्लाक-05, तृतीय तल, श्री तुल बहादुर रोका पिता श्री नर बहादुर रोका के नाम पर भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-5412 दिनांक 28.03.2009 को आधिपत्य प्राप्त कर समस्त राशि जमा कर फ्लैट कि सेलडीड दिनांक 30.06.2011 को पंजीकृत करा लिया है। वर्तमान में आबंटी श्री तुल बहादुर रोका पिता श्री नर बहादुर रोका, पता- बी-05/01, शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त फ्लैट को श्रीमती चंदा सोना पति श्री गणेश सोना, पता- शक्ति नगर हनुमान मंदिर के पीछे, रायपुर (छ.ग.) को विक्रय करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त फ्लैट के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति, शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था, निकाय बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन दिनांक के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-04, रायपुर

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-2, सड्डू, रायपुर (छ.ग.)
कामर्शियल काम्पलेक्स, सेक्टर 08 द्वितीय तल, सड्डू, रायपुर
Phon No. 0771-6988869 Email ID emzoneii@yahoo.com
GST No.22AAECA9783D2ZP

//आम सूचना//

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अटल आवास योजनांतर्गत कालोनी धनसुली रायपुर में स्थित भवन क्रमांक-216, श्रीमती जगमती पाण्डेय पति स्व. श्री रघुवीर पाण्डेय को आफर/स्ववित्तीय/ भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित किया गया था। उनके द्वारा दिनांक 05.10.2009 को अपने नाम पर लीजडीड/सेलडीड / विक्रय विलेख पंजीयन कराने के उपरांत दिनांक 22.11.2019 को हस्तांतरण विलेख (फ्री होल्ड) निष्पादित करा लिया गया है। हस्तांतरण विलेख निष्पादन उपरांत उक्त भवन को क्रेता श्रीमती सुमन शर्मा पति श्री बृज बिहारी शर्मा निवासी छोटा अशोक नगर, प्रायमरी स्कूल के सामने, गुढ़ियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में दिनांक 18.02.2020 को विक्रय कर दिया गया है। वर्तमान में क्रेता श्रीमती सुमन शर्मा पति श्री बृज बिहारी शर्मा द्वारा उक्त भवन को (फ्री होल्ड) पश्चात अपने नाम पर नामांतरण किए जाने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भवन के फ्री-होल्ड उपरांत नामांतरण के संबंध में किसी व्यक्ति, शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-2, सड्डू, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग
Email Id-durgmc2019@gmail.com Phone- 0788-2322148
-:: मेनुअल निविदा सूचना ::-

क्रमांक 70/लो.क.वि.अ./2020-21 दिनांक 01.06.2020

एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लो.नि.वि. में प्रचलित भवन एस.ओ.आर. 01.01.2015 में निविदा दिनांक तक संशोधित दर पर कम/ अधिक प्रतिशत दर पर नीचे उल्लेखित निर्माण कार्य हेतु मेनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 08.06.2020
निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि - 11.06.2020
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 22.06.2020
निविदा खोलने की तिथि - 23.06.2020 संध्या 4.00 बजे

क्र.	कार्य का नाम	लागत (लाख में)
1	गौरव पथ स्थित जिला सहकारी बैंक के पास दीवाल में थ्रीडी म्यूरल पेंटिंग कार्य	1.42
2	गौरव पथ स्थित ईरानी डेरा के तिराहा की दीवाल में थ्रीडी म्यूरल पेंटिंग कार्य	1.39
3	वार्ड 37 लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड में नाला किनारे ग्रिल निर्माण	1.50
4	वार्ड 27 सिंधी कालोनी में नाले पर ग्रिल लगाने का कार्य	1.50
5	वार्ड 24 मालवीय नगर में शंकर नाले पर ग्रिल निर्माण	1.50
6	शीतल सब्जी बाजार उतई रोड में शेड मरम्मत एवं पोताई कार्य	3.53
7	डाटा सेंटर भूतल संधारण एवं पोताई कार्य	1.50
8	डाटा सेंटर प्रथम तल संधारण एवं पोताई कार्य	1.50
9	इंदिरा मार्केट पुराना बी ब्लाक का छत संधारण एवं वाटर प्रुफिंग	1.50

निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा विभागीय वेबसाइट www.municipalcorporationdurg.in एवं www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. वि/यां संभाग रायपुर छ.ग.
निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-2373/NIT-10/2020-2021/वलेलि दिनांक 02/06/2020

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
10 T0091	Providing & fixing of new split type air-conditioner at new circuit Gouse building with Buy back of Old AC under PWD (E/M) work shop Sub division Raipur, (Make0Daikin/Blue Stare/Hitachi/O general प्रथम आमंत्रण	10.00
10 T0092	Providing & fixing of new LED Ligtht at New Circuit House building with Buy Back of Old Light Fittings under PWD (E/M) workshop Sub division Raipur प्रथम आमंत्रण	5.00
10 T0093	Maintenance & Overhauling of 33/0.4 KV Electric substation, Electric Panel, Capacitor bank & AMF Panel at New Circuit House Building under PWD (E/M) workshop Sub division Raipur प्रथम आमंत्रण	3.00
10 T0094	Maintenance & Overhauling of Solar water heater Tank & Solar pannel at New Circuit House Building under pwd (E/M) workshop Sub division Raipur प्रथम आमंत्रण	2.00
लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत		
10 T0095	अभनपुर एवं नयापारा सेक्शन अंतर्गत मूल/जमा/लघु मूल गौण/ सामान्य मरम्मत/ विशेष मरम्मत मद के तहत विद्युतीकरण कार्य प्रथम आमंत्रण	18.00
10 T0096	खरोरा सेक्शन अंतर्गत मूल/जमा/लघु मूल गौण/ सामान्य मरम्मत/ विशेष मरम्मत मद के तहत विद्युतीकरण कार्य प्रथम आमंत्रण	16.00
10 T0097	Electrification work of OW/MOW/Deposit/SR/Ordinary repair work under Civil Sub division Dhamtari Subdivision District Dhamtari प्रथम आमंत्रण	5.00
Providing electrification work		
10 T0098	at Palari Dection under pwd (E/M) Sub division Balodabazar प्रथम आमंत्रण	15.00
10 T0099	at Kasdol Section under pwd (E/M) Sub division Balodabazar प्रथम आमंत्रण	19.50
10 T0100	at Bhatapara Section under pwd (E/M) Sub division Balodabazar प्रथम आमंत्रण	19.50
10 T0101	Providing Maitenance repair and rewinding of submersible and Mono block Pump at Kashiram Nagar Section Raipur CG प्रथम आमंत्रण	5.00

नोट :- निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 22/06/2020 अपरान्ह 5.30 बजे तक निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाइट www..cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।
शर्तें - उपरोक्त कार्यों के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

जी-81290/4

कार्यपालन अभियंता,
वि/यां., संभाग लो.नि.वि.
रायपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
निविदा सूचना

क्र./लो.क.वि./जोन-3/2020/2121/59 भिलाई, दिनांक 30/05/2020

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 22.06.2020 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 23.06.2020 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 12.06.2020 को सायं 5.00 बजे तक इस कार्यालय में आवेदन के साथ निर्धारित राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत लाख	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	वार्ड क्र.-23 रविदास नगर में पुलिस लाईन में सीमेंटीकरण कार्य।	10.00	7500.00	750.00	2 माह
2	वार्ड क्र.-23 पावर हाउस सब्जी मंडी के बाजू लाल मैदान में मंच व डोम शेड निर्माण कार्य।	10.00	7500.00	750.00	3 माह
3	वार्ड क्र.-25 संतोषीपारा सिद्धार्थ स्कूल से लेकर सुनील किराना स्टोर्स तक सीमेंटीकरण कार्य।	10.00	7500.00	750.00	2 माह
4	वार्ड क्र.-25 संतोषीपारा सुरेश किराना स्टोर्स से लेकर गौरव पथ तक सीमेंटीकरण कार्य।	10.00	7500.00	750.00	2 माह
5	वार्ड क्र.-47 सेक्टर-1 सड़क एवेन्यू सी के समीप एवं अन्य स्थानों पर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य	10.00	7500.00	750.00	2 माह
6	वार्ड क्र.-47 सेक्टर-1 मानव आश्रम के बाजू में शेड निर्माण कार्य।	7.00	5300.00	750.00	2 माह
7	वार्ड क्र.-48 सेक्टर-1 फायर ब्रिगेड मैदान में मंच शेड निर्माण कार्य।	6.00	4500.00	750.00	2 माह
8	वार्ड क्र.-49 सेक्टर-2 सड़क-6 में डोम शेड निर्माण कार्य।	10.00	7500.00	750.00	3 माह
9	वार्ड क्र.-50 सेक्टर-2 सड़क-15 दुर्गा मंदिर के समीप शेड निर्माण कार्य।	10.00	7500.00	750.00	3 माह
10	वार्ड क्र.-50 सेक्टर-2 सड़क-16 में शेड निर्माण कार्य।	6.00	4500.00	750.00	2 माह
11	वार्ड क्र.-50 सेक्टर-2 सड़क-16 में गणेश मंच के समीप शेड निर्माण कार्य।	5.00	5000.00	750.00	2 माह
12	वार्ड क्र.-45 सी आई एस एफ कालोनी के समीप शेड निर्माण कार्य।	7.00	5300.00	750.00	3 माह

नोट :- उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in & eproc.cgstate.gov.in से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-03
नगर पालिक निगम, भिलाई

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

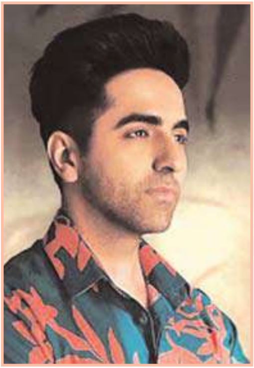

'शर्माजी की बेटी' का निर्माण करेंगे आयुष्मान खुराना

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'शर्माजी की बेटी' का निर्माण करेंगे। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप फिल्म 'शर्माजी की बेटी' का निर्देशन करने जा रही हैं।इस प्रोजेक्ट को कई बार रोकना पड़ा। पहले ताहिरा बीमार हो गई। उसके बार माधुरी दीक्षित ने फिल्म से किनारा कर लिया और फिर प्रोड्यूसर्स ने अपने हाथ खींच लिए। आयुष्मान अपनी पत्नी ताहिरा की फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले है।आयुष्मान को अपनी पत्नी के लिए प्रोड्यूसर बनने का विचार बना लिया है। वह अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस करने के बारे में सोच ही रहे थे, तो ताहिरा की फिल्म क्यों नहीं।

स्टेज को मिस कर रही हैं कृति सेनन

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों स्टेज को मिस कर रही है। देशभर में लोगों के लिए भले ही लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया हो लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हालत अब भी कुछ खास बेहतर नहीं है।बॉलीवुड एक्टर्स ने अभी अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू नहीं की है और कहा जा सकता है कि वो अभी भी लॉकडाउन लाइफही जी रहे हैं। इस दौरान कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वो किस कदर कैमरा के सामने होने और सेट पर काम करने को मिस कर रहे हैं। कृति सेनन ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वे स्टेज पर होने को कितना मिस करती हैं।कृति ने अपनी कुछ पुरानी वीडियोज शेयर की हैं जिनमें वह स्टेज पर फिल्म बंटी और बबली के गाने 'कजरारे' पर डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो के कैप्शन में कृति सेनन ने लिखा, स्टेज पर परफॉर्म करना मिस कर रही हूं। वो एनर्जी, वो म्यूजिक, वो एड्रनेलिन, वो कॉर्डिनेशन और बीच-बीच में सुपर एनर्जेटिक डांसर्स के साथ हूटिंग करना आपको अचानक पंप अप कर देता है।

कंगना के गाने पर कृति सेनन सिखा रही मां को डांस

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ,कंगना रनौत के एक गाने पर अपनी मां को डांस सीखा रही है। लॉकडाउन के बीच हर कलाकार अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है।कृति सेनन इन दिनों अपनी मां को डांस सिखा रही हैं।इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कृति सेनन अपनी मां को कंगना की फिल्म क्वीन के गाने पर डांस सिखा रही हैं। कृति की बहन नुपूर ने इंस्टा स्टोरी पर डांस करते हुए उनका फनी वीडियो शेयर किया है। वायरल वीडियो में कृति अपनी मां के साथ लंदन ठुमकदा पर थिरक रही हैं. वो अपनी मां को सिंपल स्टेप्स सिखा डांस कराने की कोशिश कर रही हैं।

रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस के लिए फिर बढ़ाए मदद के हाथ

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड के इंटरटेनर नंबर वन निर्देशक रोहित शेट्टी एक बार फिर मुंबई पुलिस की मदद के लिये आगे आये हैं। कोरोना वायरस के कहर ने सबसे ज्यादा माया नगरी मुंबई को परेशान कर रखा हैं।बॉलीवुड स्टार्स लगातार जरुरतमंदों के लिए आगे आ रहे हैं, साथ ही कोरोना वॉरियर्स की भी मदद कर रहे हैं। हाल ही में रोहित शेट्टी ने एक बार फिर से मुंबई पुलिस के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए है। रोहित की इस मदद के बाद एक पुलिस अफसर ने उन्हें शुक्रिया भी कहा हैं। रोहित शेट्टी ने पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और मजबूरी को समझते हुए मदद के हाथ बढ़ाएं। उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन स्टाफके लिए 17 कमरों का इंतजाम किया है, जिससे ड्यूटी के साथ वो अपने परिवार को भी इस संक्रमण से बचा सके। ड्यूटी के बाद ये पुलिसकर्मी घर जाने के बजाय यहां ठहरेंगे। इससे पहले रोहित शेट्टी ने कोरोना वॉरियर्स के लिए मुंबई के आठ होटलों में रूम बुक कराए थे, जहां इनके आराम और भोजन का बंदोबस्त भी किया गया हैं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202006100400155

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा पति श्री तुलाराम सिन्हा निवासी गयानगर दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 84/3 रकबा 0.028 हें/ अर्थात 3000 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202006100400

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती तारा बाई मिश्रा पति श्री केदारनाथ मिश्रा निवासी हनोदा द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम हनोदा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 608/09 रकबा 0.022 हें/ अर्थात 2430 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400463

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक नीलकंठ साहू आ. जयसिंह साहू निवासी हुडको भिलाई द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 791/5 रकबा 0.02 हें/ अर्थात 1980 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400462

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक बसंत अजगलके पिता स्व. मकर निवासी मरोदा सेक्टर द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 314/16 रकबा 0.02 हें/ अर्थात 2145 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400461

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक ऋषिराम ठाकुर आ. रामनाथ ठाकुर निवासी रिसाली सेक्टर द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 791/3 रकबा 0.01 हें/ अर्थात 1000 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400460

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक अनिरुद्ध पिता स्व. राजकुमार निवासी मरोदा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 793/14 रकबा 0.023 हें/ अर्थात 2340 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400459

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक मोहन लाल प्रधान पिता दधिकराम निवासी सेक्टर 06 भिलाई द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 726/7 रकबा 0.02 हें/ अर्थात 1600 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400458

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक गणेशराम सुमन आ. एल.आर. सुमन निवासी सेक्टर 2 भिलाई द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 291/6 रकबा 0.02 हें/ अर्थात 2159 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400456

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक कार्तिकराम आ. नातूराम निवासी मरोदा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 326/18 रकबा 0.01 हें/ अर्थात 1500 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400455

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक बिसाहूराम आ. सहेतर राम निवासी मरोदा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 314/7 रकबा 0.01 हें/ अर्थात 1480 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400518

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक रामदास आ. तेजराम देशलहरा निवासी रिसाली सेक्टर भिलाई द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 346/2 रकबा 0.03 हें/ अर्थात 2902.5 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202006100400145

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राजू देवांगन आ. स्व. बोधीराम देवांगन निवासी आशा नगर दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 84/29 रकबा 0.006 हें/ अर्थात 690 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202006100400143

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रीना मिश्रा पति श्री अजय मिश्रा निवासी हरिनगर दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 266/34 रकबा 0.014 हें/ अर्थात 1590 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202006100400110

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती प्रियंका सिन्हा पति ओमप्रकाश सिन्हा निवासी गयानगर तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम बघेरा प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 250/33 रकबा 0.015 हें/ अर्थात... वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202006100400100

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका रश्मिलाल ठाकुर पति मुकेश सिंह ठाकुर निवासी चगोराभाठा तह. व जिला रायपुर द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम बघेरा प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 268/30 रकबा 0.021 हें/ अर्थात... वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202005100400327

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिलीप कुमार ध्रुवे आ. श्री कंवल सिंह ध्रुवे निवासी धनोरा द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1020/27 रकबा 0.022 हें/ अर्थात 2409 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202006100400127

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती इन्दिरा देवी गोलछा पति श्री तेजराम गोलछा निवासी शिक्षक नगर दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम करंजा भिलाई प.ह.न. 09 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 334/2 रकबा 0.18 हें/ अर्थात 19368 वर्गफीट भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

ऑनलाईन पं. 202006100400148

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मोहनलाल साहू आ. रामकिशुन साहू निवासी बाहारडीह तह. पाटन जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 986/40 रकबा 0.030 हें/ अर्थात 3120 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है।
प्राण वायु दे रहे सभी को, ऐसे परम उदार वृक्ष है।
मा. भुपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन
मा. मोहम्मद अकबर जी
विधायक कवर्धा एवं
वन मंत्री छ.ग. शासन
वन ही जीवन है
5
जून 2020
विश्व पर्यावरण दिवस की
हार्दिक बधाई
एवं शुभकामनायें
विनीत - समस्त सदस्य वन परिवार एवं वन विभाग कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है।
लाखों जीव बसेरा करते , जैसे सुंदर गांव वृक्ष है।।
वन ही जीवन है 5 जून 2020
विश्व पर्यावरण दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें
राजा खड्गराज सिंह
पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष स. लोहारा
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

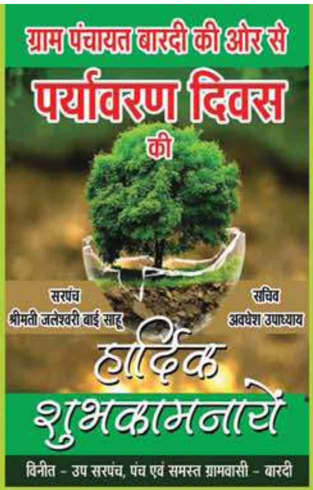
ग्राम पंचायत बारदी की ओर से
पर्यावरण दिवस की
सरपंच
श्रीमती जलेश्वरी बाई साहू
सचिव
अवधेश उपाध्याय
हार्दिक शुभकामनायें
विनीत - उप सरपंच, पंच एवं समस्त ग्रामवासी - बारदी

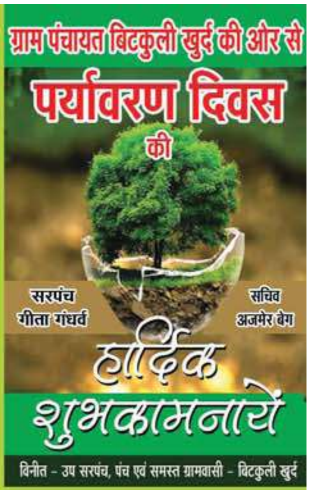
ग्राम पंचायत बिटकुली खुर्द की ओर से
पर्यावरण दिवस की
सरपंच
गीता गंधर्व
सचिव
अजमेर बेग
हार्दिक शुभकामनायें
विनीत - उप सरपंच, पंच एवं समस्त ग्रामवासी - बिटकुली खुर्द

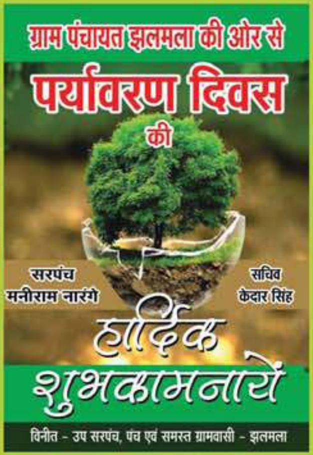
ग्राम पंचायत झलमला की ओर से
पर्यावरण दिवस की
सरपंच
मनीराम नारंगे
सचिव
केदार सिंह
हार्दिक शुभकामनायें
विनीत - उप सरपंच, पंच एवं समस्त ग्रामवासी - झलमला

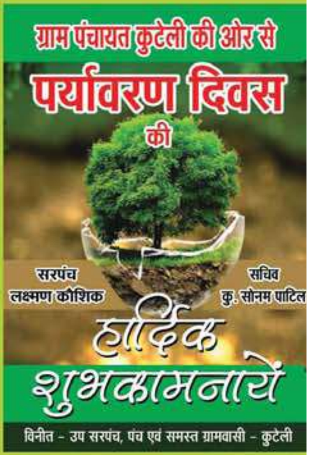
ग्राम पंचायत कुटेली की ओर से
पर्यावरण दिवस की
सरपंच
लक्ष्मण कौशिक
सचिव
कु. सोनम पाटिल
हार्दिक शुभकामनायें
विनीत - उप सरपंच, पंच एवं समस्त ग्रामवासी - कुटेली

ईश्वर के अनुदान वृक्ष है, फल-फूलों की खान वृक्ष है।
मूल्यवान औषधियां देते, ऐसे दिव्य महान वृक्ष है।।
मा. भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन
5 जून 2020
मा. मोहम्मद अकबर जी
विधायक कवर्धा एवं
वन मंत्री छ.ग. शासन
विश्व पर्यावरण दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें
विनीत - भोरमदेव अभ्यारण्य परिक्षेत्र अधिकारी कवर्धा, जिला - कबीरधाम

जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है।
लाखों जीव बसेरा करते , जैसे सुंदर गांव वृक्ष है।।
मा. भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन
वन ही जीवन है 5 जून 2020
मा. मोहम्मद अकबर जी
विधायक कवर्धा एवं
वन मंत्री छ.ग. शासन
विश्व पर्यावरण दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें
तुकाराम चन्द्रवंशी
विनीत - तुकाराम चन्द्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य एवं समस्त क्षेत्रवासी जिला - कबीरधाम

मा. भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन
ईश्वर के अनुदान वृक्ष है, फल-फूलों की खान वृक्ष है।
मूल्यवान औषधियाँ देते, ऐसे दिव्य महान वृक्ष है।।
मा. मोहम्मद अकबर जी
विधायक कवर्धा एवं
वन मंत्री छ.ग. शासन
वन ही जीवन है 5 जून 2020
विश्व पर्यावरण दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें
मान. ऋषि शर्मा
अध्यक्ष-नगर पालिका परिषद कवर्धा

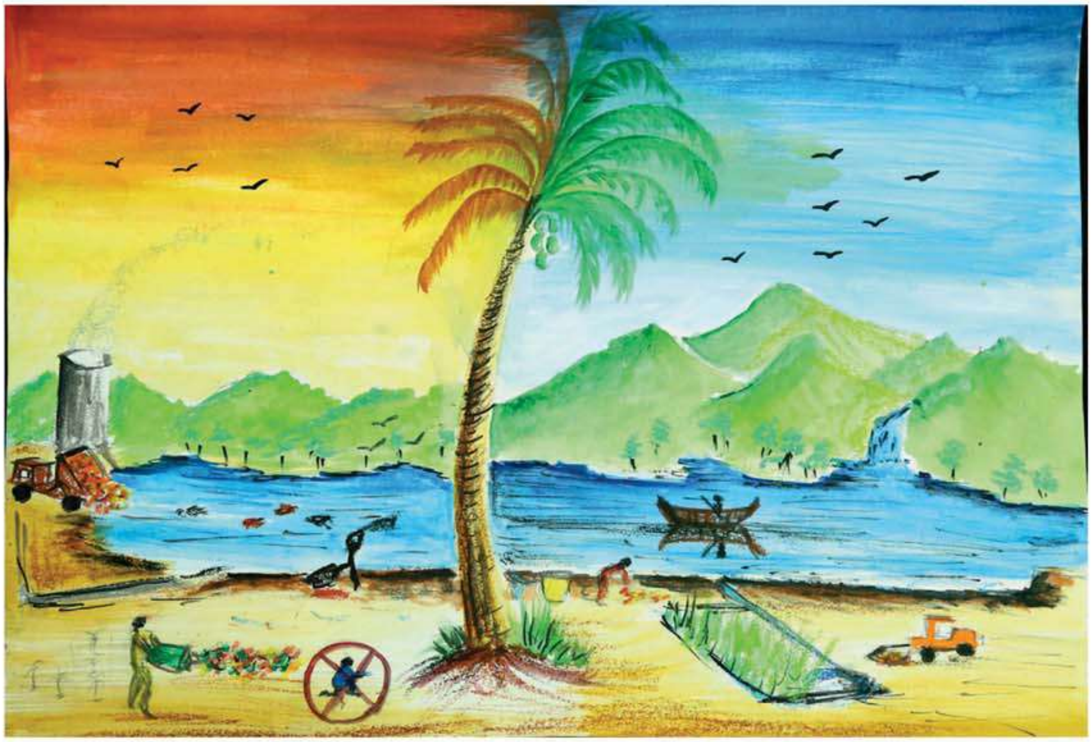

कुम्मा कुंजाम

**आस्था विद्या मंदिर, अंग्रेजी माध्यम स्कूल,
जवांगा, गीदम, छत्तीसगढ़**

बच्चों की कल्पना का विश्व, अतः विश्व में परिवर्तन लाना जरूरी है

पर्या-हितैषी खनिक के रूप में एनएमडीसी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सुस्थिर विकास के सभी लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। संगठनात्मक विजन, मिशन, नीतियों, प्रबंधन प्रणालियों, प्रक्रियाओं और निष्पादन में सुस्थिरता अंतर्निहित है। एनएमडीसी का मानना है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन "पर्यावरण के लिए क्षति" है तथा वह अपने प्रचालनों में अल्प कार्बन उत्सर्जन की इच्छा रखता है।

- सभी उत्पादन सुविधाएं आईएसओ 14001-2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रमाणित हैं
- प्रत्येक वर्ष पर्यावरण निगरानी अध्ययन तथा संस्तुतियों पर कार्रवाई
- पर्यावरण- हितैषी प्रौद्योगिकियों के साथ साथ अपनी कार्पोरेट पर्यावरण नीति को प्रोत्साहन
- वैज्ञानिक वनीकरण और सामाजिक वानिकी के माध्यम से वायु प्रदूषण की रोकथाम
- अपनी परियोजना में एवं आस-पास के क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक पौधारोपण

एनएमडीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

विश्व पर्यावरण दिवस -2020

पंजी. कार्यालयः 10-3-311/ए, 'खनिज भवन', कैसल हिल्स, मासाब टैंक, हैदराबाद-500028
वेबसाइट : www.nmdc.co.in, nmdclimited
CIN: L13100TG1958GOI001674

हर एक काम देश के नाम | पर्या-हितैषी खनिक | इस्पाती इरादा